

5 MAR 2007
दिनांक को विधान सभा
में प्रस्तुत ।
Presented to Legislature
on

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियाँ)

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ
	प्राक्कथन	iii
	विहंगावलोकन	iv
पहला अध्याय : सामान्य		
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों में अन्तर	3
1.3	संग्रहण की लागत	5
1.4	प्रति निर्धारिती वाणिज्यिक कर का संग्रहण	5
1.5	बकाया राजस्व का विश्लेषण	6
1.6	निर्धारण हेतु बकाया	7
1.7	कर अपवंचन	7
1.8	प्रतिदाय	7
1.9	लेखापरीक्षा के परिणाम	8
1.10	प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया	8
1.11	स्वीकार्य प्रकरणों में वसूली की स्थिति	8
दूसरा अध्याय : वाणिज्यिक कर		
2.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	10
2.2	कर के त्रुटिपूर्ण दर का प्रयोग	11
2.3	क्रय कर का अनारोपण	11
2.4	कर भुगतान की गलत छूट	12
2.5	कर का कम आरोपण	14
2.6	सकल विक्रय की गलत छूट	15
2.7	कर योग्य माल को कर मुक्त मानने से कर की वसूली न होना	15
2.8	कर चुके माल की सकल विक्रय से गलत छूट	16
2.9	प्रतिदाय का गलत दिया जाना/अतिरिक्त संग्रहित कर की जप्ती न होना	17
2.10	साख पत्रों की गलत छूट	18
2.11	ब्याज की गलत माफी	18
2.12	शास्ति का अनारोपण	19
2.13	वृत्तिकर का वसूल न होना	19
2.14	प्रवेश कर का कम आरोपण	20
2.15	प्रवेश कर का अनारोपण	20

तीसरा अध्याय : राज्य उत्पाद शुल्क		
3.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	22
3.2	शीरा से अल्कोहल का उत्पादन शर्करा की मात्रा के अनुरूप न होना	23
3.3	परिवहन में देशी मदिरा के मार्गस्थ हानि पर उत्पाद शुल्क की वसूली न होना	23
3.4	प्रक्रिया व्ययों की मांग न किया जाना	24
3.5	स्प्रिट के न्यूनतम स्कंध के न रखने पर शास्ति का अनारोपण	25
3.6	नये अनुज्ञप्तिधारियों को सौंपे गए शेष स्कंध से कर, मदिरा की लागत तथा अन्य शुल्क वसूल न होना	26
चौथा अध्याय : वाहनों पर कर		
4.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	27
4.2	वाहन कर का अनारोपण	28
पांचवा अध्याय: अन्य कर प्राप्तिर्षी		
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
5.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	29
5.2	मुद्रांक शुल्क की गलत छूट	30
5.3	सम्पत्तियों का न्यून मूल्यांकन	30
5.4	प्रकरणों के निराकरण में अपरिमित विलंब	31
छठवा अध्याय : वन प्राप्तिर्षी		
6.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	33
6.2	संग्रहण/सावधिक जमाओं के रूप में निधियों के जमा न करने के कारण ब्याज की हानि	34
6.3	लठ्ठों के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि	35
6.4	बाँस कूपों से विदोहन न होने से राजस्व की हानि	36
सातवा अध्याय : विद्युत एवं सुरक्षा		
7.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	38
7.2	विद्युत उर्जा के उत्पादकों से विकास उपकर की वसूली न होना	38
7.3	विद्युत प्रतिष्ठापनों के निरीक्षण न किए जाने के कारण हानि	39
आठवा अध्याय : खनन प्राप्तिर्षी		
8.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	40
8.2	मुख्य खनिज पदार्थों से खनन देय का निर्धारण एवं संग्रहण पर समीक्षा	41
8.3	अनिवार्य किराया एवं उस पर ब्याज का वसूली न होना	50

31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य शासन के राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है। यह प्रतिवेदन, विक्रय, व्यापार, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, खनन रियायत, फीस एवं रायल्टिज तथा राज्य की अन्य कर भिन्न प्राप्तियों को समाहित करते हुए प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करती है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2005-06 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जांच के समय ध्यान में आए साथ ही वे भी जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था।

इस प्रतिवेदन में, 'मुख्य खनिज पदार्थों से खनन देय का निर्धारण एवं संग्रहण' पर एक समीक्षा को सम्मिलित करते हुए 253.10 करोड़ रुपये की 30 कंडिकाएँ समाहित हैं। कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं-

I. सामान्य

शासन ने 2005-06 में 4,051.91 करोड़ रुपये के कर राजस्व तथा 1,229.53 करोड़ रुपये के कर भिन्न राजस्व को समाहित करते हुए 5281.44 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त किया। शासन ने भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों की सकल प्राप्ति में राज्यांश 2,507.82 करोड़ तथा 1,049.23 करोड़ सहायता अनुदान के रूप में भी प्राप्त किए। इस प्रकार वर्ष के दौरान सकल प्राप्तियां 8,838.49 करोड़ थीं। विक्रय व्यापार इत्यादि पर कर (2,089.20 करोड़ रुपये) ने कर राजस्व का मुख्य भाग (51.56 प्रतिशत) निर्मित किया एवं अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग (721.12 करोड़ रुपये) ने कर भिन्न राजस्व का 58.65 प्रतिशत लेखित किया।

(कंडिका 1.1.1 से 1.1.3)

मार्च 2006 के अंत में, मुख्य विभागों द्वारा प्रतिवेदित राजस्व के बकाया 3940.65 करोड़ रुपये थे।

(कंडिका 1.5)

वर्ष 2005-06 के दौरान, विक्रय कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर यान कर, मद्रांक एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां तथा अन्य कर भिन्न राजस्व के अभिलेखों की नमूना जांच में 387.79 करोड़ के 3,360 प्रकरण अवनिर्धारण, कम करारोपण/राजस्व की हानि के प्रकट हुए। लेखापरीक्षा के दौरान 2005-06 एवं पूर्व के वर्षों में इंगित किए गए 1071 प्रकरणों में विभाग ने 87.45 करोड़ रुपये की अवनिर्धारण एवं अन्य हानियां स्वीकार की।

(कंडिका 1.9)

II. वाणिज्यिक कर

16.18 लाख रुपये के क्रय कर का आरोपण नहीं किया गया

(कंडिका 2.3.1)

योग्यता प्रमाण पत्र में माल का विक्रय विशिष्टकृत न होने से 69.83 लाख रुपये के कर की अनियमित छूट

(कंडिका 2.4.2)

सकल विक्रय की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 50.80 लाख रुपये के कर का अनारोपण

(कंडिका 2.7.1)

84.54 लाख रुपये के कर का गलत प्रतिदाय दिया जाना

(कंडिका 2.9)

सकल विक्रय से साख पत्रों की गलत छूट के परिणामस्वरूप 16.65 लाख रुपये कर का कम आरोपण

(कंडिका 2.10)

52.70 लाख रुपये के वृत्तिकर का वसूल न होना

(कंडिका 2.13)

41.39 लाख रुपये के प्रवेश कर की कम वसूली

(कंडिका 2.14)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

शीरा से अल्कोहल का उत्पादन शर्करा की मात्रा के अनुरूप न होने के परिणामस्वरूप 51.31 लाख रुपये शास्ति का कम आरोपण

(कंडिका 3.2)

12.37 लाख रुपये के प्रक्रिया व्यय की मांग नहीं की गई

(कंडिका 3.4)

स्प्रिट के न्यूनतम स्कंध के न रखने पर 2.40 करोड़ रुपये की शास्ति आरोपित नहीं की गई

(कंडिका 3.5)

शेष स्कंध को नये अनुज्ञप्तिधारियों को सौंपे जाने पर 97.64 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क की वसूली नहीं की गई

(कंडिका 3.6)

IV. वाहनों पर कर

विभिन्न प्रकार के वाहनों पर शास्ति सहित वाहन कर के 2.11 करोड़ रुपये वसूल नहीं किए गए

(कंडिका 4.2)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

विलेखों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण करने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के 13.26 लाख रुपये की कम वसूली

(कंडिका 5.3)

संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारित करने में अपरिमित विलंब के परिणामस्वरूप 16.43 लाख रुपये राजस्व अवरूद्ध हुआ

(कंडिका 5.4)

VI. वन प्राप्तियाँ

सावधिक जमाओं के रूप में निवल वर्तमान मूल्य के जमा न करने के कारण 10.35 करोड़ रुपये ब्याज की हानि

(कंडिका 6.2.2)

लठों एवं जलाऊ लकड़ी के उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप 99.49 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई

(कंडिका 6.3)

VII. विद्युत एवं सुरक्षा

विद्युत उर्जा के उत्पादकों से विकास उपकरण के 46.56 लाख रुपये की वसूली नहीं की गई

(कंडिका 7.2)

विद्युत प्रतिष्ठापनों के निरीक्षण न किए जाने के परिणामस्वरूप 82.96 लाख रुपये की हानि हुई

(कंडिका 7.3)

VIII. खनन प्राप्तियाँ

रॉयल्टी के 15.12 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई

(कंडिका 8.2.7)

कोयले के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 209.93 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई

(कंडिका 8.2.9)

खनिज के अनाधिकृत उत्खनन के कारण 23.11 लाख रुपये खनिज की वसूली नहीं हुई

(कंडिका 8.2.11)

औसत रॉयल्टी की गलत गणना के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के 1.49 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई

(कंडिका 8.2.15)

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2005-06 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का राज्यांश एवं सहायता अनुदान एवं इससे संबंधित विगत चार वर्षों के आँकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
I	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व					
•	कर राजस्व	1,993.13	2,327.44	2,588.25	3,227.80	4,051.91
•	कर भिन्न राजस्व	722.38	956.56	1,124.41	1,243.93	1,229.53
	योग	2,715.51	3,284.00	3,712.66	4,471.73	5,281.44
II	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
•	विभाज्य संघीय करों का राज्यांश	1,175.80	1,349.90	1,569.70	1,876.29	2,507.82 ¹
•	सहायता अनुदान	484.39	783.40	676.96	900.85	1,049.23
	योग	1,660.19	2,133.30	2,246.66	2,777.14	3,557.05
III	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I+II)	4,375.70	5,417.30	5,959.32	7,248.87	8,838.49
IV	I से III का प्रतिशत	62	61	62	62	60

¹ विवरण के लिए कृपया वर्ष 2005-06 के लिए छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे तालिका 11- राजस्व का लघु शीर्षवार ब्यारे वार लेखे देखें। शीर्ष 0020-निगम कर, 0021-निगम कर भिन्न आय पर कर, 0028-आय और व्यय पर अन्य कर, 0032-संपत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवाकर, 0045-वस्तुओं एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क के अंतर्गत अंक - कर राजस्व के अंतर्गत वित्त लेखाओं में दर्शित, राज्य को निर्दिष्ट निवल प्राप्ति का भाग इस पत्रक में राज्य के द्वारा राजस्व से अलग किया गया तथा विभागीय संघीय करों के राज्यांश में शामिल किया गया।

1.1.1 विगत चार वर्षों के आँकड़ों सहित वर्ष 2005-06 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2004-05 की तुलना में 2005-06 में अधिक (+) या कम (-) का प्रतिशत
1.	● वाणिज्यिक कर	563.91	768.08	989.23	1,347.17	1,602.85	(+)18.98
	● केन्द्रीय विक्रय कर	376.19	334.35	309.39	326.69	486.35	(+)48.87
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	313.61	361.73	402.35	458.27	634.50	(++)38.46
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	121.35	148.10	170.87	247.77	312.80	(++)26.25
4.	विद्युत पर कर और शुल्क	226.06	244.33	268.36	308.92	362.31	(+)17.28
5.	वाहनो पर कर	124.88	157.81	167.07	191.79	205.97	(+)7.39
6.	माल और यात्रियों पर कर	196.27	251.55	230.08	287.13	395.33	(+)37.68
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, होटल प्राप्ति कर सहित व्यवसाय, वृत्ति, व्यापार एवं रोजगार पर कर	47.62	42.41	42.96	27.13	20.65	(+)2.43
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	6.67	6.52	4.13	4.25	4.26	(++)0.24
9.	शू-राजस्व	16.57	12.56	3.81	28.68	26.89	(-)6.24
	योग	1,983.13	2,327.44	2,568.25	3,227.80	4,051.91	(+)25.83

वाणिज्य कर: वृद्धि, विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोत्तरी के कारण थी।

राज्य उत्पाद: आवेदकों की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा पूर्व वर्ष से संबंधित राजस्व के जमा होने के कारण वृद्धि हुई।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस: वृद्धि, अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य में बढ़ोत्तरी एवं विलेखों के पंजीयन की संख्या में वृद्धि के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005-06 में उच्च राशि मूल्य के कुछ पट्टा विलेखों का पंजीकरण भी किया गया।

1.1.2 वर्ष 2005-06 के दौरान संग्रहित कर भिन्न राजस्व के विवरण विगत चार वर्षों के आँकड़ों सहित नीचे दिए गए हैं:-

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	(करोड़ रुपये में)
							2004-05 की तुलना में 2005-06 में परिवर्तन (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1	ब्याज प्राप्ति	49.12	95.65	122.46	101.26	97.67	(-) 3.55
2	अन्य कर भिन्न प्राप्ति	48.42	77.26	86.38	69.23	106.41	(++) 53.71
3	वाणिज्यी और अन्य जीवन	98.19	105.84	140.84	159.85	203.17	(++) 27.10
4	अलौकिक धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	454.04	538.14	629.68	679.83	721.12	(++) 6.07
5	विभिन्न सामान्य सेवाएँ (लॉटरी प्राप्तिगो सहित)	6.04	1.99	67.47	37.45	14.91	(-) 60.19
6	उर्जा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	100.00	0.00	(-) 100.00
7	वृहद एवं मध्यम शिवाई	38.20	53.73	44.85	67.26	38.98	(-) 42.05
8	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	3.28	2.40	2.43	3.21	3.07	(-) 4.36
9	सहकारिता	3.58	3.99	4.14	4.17	5.82	(++) 39.57
10	लोक निर्माण	6.95	10.03	8.56	5.63	13.94	(++) 147.60
11	पुलिस	2.70	2.59	6.80	3.74	10.21	(++) 172.99
12	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	11.86	64.84	10.70	12.30	14.23	(++) 15.69
	योग	722.38	955.55	1,124.41	1,243.93	1,228.63	(-) 1.16

विभागों से पूर्व वर्ष में, प्राप्तियों में अन्तरों के कारण मांगे गए थे परन्तु प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अन्तर

वर्ष 2005-06 में कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों के संबंध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य अन्तर नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर अधिक (+) या कमी (-)	अन्तर प्रतिशत
(क) कर राजस्व					
1.	विक्रय, व्यापार पर कर आदि	1745.81	2089.20	(+) 343.39	(+) 19.67
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	525.00	634.50	(+) 109.50	(+) 20.86
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	325.96	362.31	(+) 36.35	(+) 11.15
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	326.33	395.33	(+) 69.00	(+) 21.14
5.	वाहनों पर कर	203.02	205.97	(+) 2.95	(+) 1.45
6.	मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस	225.01	312.80	(+) 87.79	(+) 39.02
7.	भू-राजस्व	8.19	26.89	(++) 18.70	(+) 228.33
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	4.69	4.26	(-) 0.43	(-) 9.17
9.	आय एवं व्यय पर अन्य कर	49.95	19.85	(-) 30.10	(-) 60.26
10.	होटल शुल्क प्राप्तियाँ कर	0.75	0.57	(-) 0.18	(-) 24.00
	योग	3,414.71	4,051.63	(++) 636.97	(+) 18.65
(ख) कर भिन्न राजस्व					
1.	वानिकी एवं वन्य जीवन	137.17	203.17	(+) 66.00	(+) 48.12
2.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	700.00	721.12	(++) 21.12	(++) 3.02
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	96.24	97.67	(+) 1.43	(+) 1.48
4.	वृहद, एवं लघु सिंचाई	45.14	32.90	(-) 12.24	(-) 27.12
5.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2.17	1.53	(-) 0.64	(-) 29.49
6.	पुलिस	6.00	10.21	(++) 4.21	(+) 70.16
7.	लोक निर्माण विभाग	15.98	13.94	(-) 2.04	(-) 12.77
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	23.76	14.23	(-) 9.53	(-) 40.11
9.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	5.21	3.07	(-) 2.14	(-) 41.07
10.	अन्य (जेल)	1.56	0.90	(-) 0.66	(-) 42.31
	योग	1,033.23	1,098.74	(+) 65.51	(+) 6.34

यद्यपि राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक में अन्तरों के कारण मांगे गए थे, पर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

1.3 संग्रहण की लागत

2004-05 हेतु संग्रहण पर व्यय के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के वर्षों के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सकल संग्रहण, संग्रहण पर किए गए व्यय एवं सकल संग्रहण पर किए गए व्यय के प्रतिशत निम्नानुसार थे:-

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	2004-05 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
1.	विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	2003-04	1,298.62	15.90	1.22	0.95
		2004-05	1,673.86	11.95	0.71	
		2005-06	2,089.20	12.61	0.60	
2.	वाहनों पर कर	2003-04	167.07	4.18	2.50	2.74
		2004-05	191.79	4.50	2.34	
		2005-06	205.97	3.81	1.85	
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2003-04	402.35	19.12	4.75	3.34
		2004-05	458.27	18.51	4.04	
		2005-06	634.50	23.55	3.71	
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	2003-04	170.87	2.60	1.52	3.44
		2004-05	247.77	5.94	2.40	
		2005-06	312.80	8.61	2.75	

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है, कि पिछले तीन वर्षों में अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से राज्य उत्पाद शुल्क के सकल संग्रहण के लिए व्यय का प्रतिशत उच्चतर था।

1.4 प्रति निर्धारित वाणिज्यिक कर का संग्रहण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	वाणिज्यिक कर राजस्व	राजस्व/निर्धारित
2001-02	42,581	940.10	0.022
2002-03	44,644	1,102.43	0.025
2003-04	48,233	1,298.62	0.027
2004-05	51,523	1,673.86	0.032
2005-06	54,278	2,089.20	0.038

1.5 बकाया राजस्व

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2006 की स्थिति में 3,940.65 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया था जिसमें से 2,658.49 करोड़ रुपये पाँच वर्षों से अधिक के समय से लंबित थे जैसा कि तालिका में वर्णित है:-

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2006 को लंबित राशि	31 मार्च 2006 को 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित राशि	टिप्पणी
1.	विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	3,897.24	2,650.98	राशि 3,897.24 करोड़ रुपये में से 130.43 करोड़ रुपये की मांग राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु सत्यापित किए जा रहे हैं। 15.99 करोड़ रुपये की वसूली पर न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है। व्यापारियों/पक्षों के दिवालिया होने से 32.64 करोड़ रुपये की राशि रुकी हुई थी। शेष बकाया के संबंध में की गई विशिष्ट कार्यवाही सूचित नहीं की गई।
2.	वाहनो पर कर	3.80	2.35	3.80 करोड़ रुपये में से 0.72 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। विभाग ने सूचित किया कि शेष राशि की वसूली के लिए मांग सूचना जारी किए जा रहे हैं।
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	19.85	4.66	19.85 करोड़ रुपये में से 4.26 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालय द्वारा स्थगित की गई, पक्ष के दिवालिया होने से 5.07 करोड़ रुपये रुके हुए थे, 0.22 करोड़ रुपये की राशि अपलेखित की जाने वाली थी। 10.30 करोड़ रुपये के बकाया के संबंध में की गई विशिष्ट कार्यवाही सूचित नहीं की गई थी।
4.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2.86	0.27	2.86 करोड़ रुपये में से 0.11 करोड़ रुपये वसूल किए गए। विभाग द्वारा यह सूचित किया गया कि शेष राजस्व की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	16.90	0.23	विभाग द्वारा सूचित किया गया कि बकाया के वसूली की विस्तृत स्थिति उपलब्ध नहीं थी एवं इसे संभागों से एकत्रित किया जावेगा।
योग		3,940.65	2,658.49	

यह सूझाव दिया जाता है कि शासकीय राजस्व को बढ़ाने के लिए इन पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित बकाया के संग्रहण हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए।

1.6 निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष 2005-06 के प्रारंभ में कर निर्धारण के लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण और वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

कर का नाम	प्रारंभिक शेष (2005-06)	वर्ष के दौरान जोड़े गए	कुल निर्धारण योग्य प्रकरण	निराकृत प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	संभ 5 का 4 से प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
वाणिज्यिक कर	37,320	81,210	1,18,530	68,780	49,750	58.03
वृत्ति कर	15,652	23,540	39,192	27,069	12,123	69.67
प्रवेश कर	16,681	43,766	60,447	37,391	23,056	61.86
विलासिता कर	87	166	253	167	86	66.01
योग	69,740	1,48,682	2,18,422	1,33,407	85,015	81.08

1.7 कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर एवं राज्य उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों, अंतिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवं विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर माँगों के विवरण नीचे दिए गए है:-

स. क्र.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2005 को लंबित प्रकरण	2005-06 के दौरान खोजे गए प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या तिनमें निर्धारण/जोच पूर्ण की गई एवं शास्ति सहित अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2006 को अंतिम निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरण की संख्या	माँग की राशि (लाख रुपये में)	
1.	वाणिज्यिक कर	22	24	46	28	355.42	18
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	17	2	19	2	2.86	17

1.8 प्रतिदाय

विभागों द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2005-06 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदायों और वर्ष 2005-06 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.		वाणिज्यिक कर		राज्य उत्पाद शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावें	224	1.01	16	0.42
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	3,588	20.50	32	0.60
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	3,515	19.05	29	0.50
4.	वर्ष के अंत में लंबित शेष	297	2.46	19	0.52

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियों, वन प्राप्तियों एवं अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच में 3,360 प्रकरणों में 387.79 करोड़ रुपये के राजस्व के अव-निर्धारण/कम करारोपण/हानि प्रकट हुईं। वर्ष 2005-06 के दौरान इंगित किए गए 1,071 प्रकरणों में विभागों ने 87.45 करोड़ रुपये का अव-निर्धारण स्वीकार किया। अवशेष प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रतिवेदन में 253.10 करोड़ रुपये के करों, शुल्कों, ब्याज एवं शास्तियों का अनारोपण/कम करारोपण वाली (एक समीक्षा को सम्मिलित कर) 30 कंडिकाएँ सन्निहित हैं। विभाग ने 2.22 करोड़ रुपये की लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की एवं अक्टूबर 2006 तक 0.47 करोड़ रुपये वसूल किए। अन्य प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

1.10 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाने हेतु अग्रेषित किया जाता है एवं उनसे आग्रह किया जाता है कि वे अपने उत्तर छः सप्ताह के अन्दर प्रेषित करें। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अंत में विभाग से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य सतत रूप से दर्शाए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 30 प्रारूप कंडिकाएँ (एक समीक्षा को सम्मिलित कर) मार्च एवं अगस्त 2006 के मध्य संबंधित विभागाध्यक्षों के नाम से भेजी गई थीं। तथापि, अनुस्मारक जारी करने पर भी उत्तर प्राप्त नहीं हुए। इन कंडिकाओं को विभाग के सचिवों के उत्तर के अभाव में प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है (अक्टूबर 2006)।

1.11 स्वीकार्य प्रकरणों में वसूली की स्थिति

वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 के मध्य विभाग/शासन द्वारा 20.35 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें से नीचे दिए गए विवरणानुसार 31 मार्च 2006 को मात्र 0.72 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गई।

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकार्य राशि	मार्च 2006 तक की गई वसूली
1.	2001-02	21.19	3.00	0.07
2.	2002-03	11.04	1.65	0.03
3	2003-04	46.72	12.40	0.15
4	2004-05	60.98	1.05	--
5	2005-06	253.10	2.22	0.47*
योग		393.03	20.32	0.72

अक्टूबर 2006 तक 0.47 करोड़ रुपये वसूल किए गए।

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित निर्धारण प्रकरणों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में राजस्व के अव-निर्धारण, कर का कम आरोपण/अनारोपण, ब्याज, शास्ति, कर दर का त्रुटिपूर्ण अपनाया जाना इत्यादि के 19.70 करोड़ रुपये के 263 प्रकरण प्रकट हुए, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कर का कम लगाया जाना/अनारोपण ✓	122	3.74
2.	कर की त्रुटिपूर्ण दर का अपनाया जाना ५	18	0.78
3.	कर योग्य सकल विक्रय का त्रुटिपूर्ण निर्धारण ३	07	0.45
4.	छूट/कटौती का गलत दिया जाना \	21	2.55
5.	अन्य ५	95	12.18
	योग	263	19.70

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने दो प्रकरणों में 0.32 करोड़ रुपये का कम निर्धारण स्वीकार किया, कुछ विस्तृत प्रकरण जिनमें 4.29 करोड़ रुपये की राशि सन्निहित है, आगामी कंडिकाओं में दिए गए हैं।

2.2 कर की त्रुटिपूर्ण दर अपनाया जाना

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी जो माल का अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यिक विक्रय पंजीकृत व्यवसायी को करता है, फार्म सी में घोषणा की प्रस्तुती की शर्त पर चार प्रतिशत की दर से कर अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। अन्यथा घोषित माल पर कर की गणना आठ प्रतिशत की दर से की जावेगी और उपयुक्त राज्य के अंदर ऐसे माल के विक्रय पर 10 प्रतिशत या प्रयोज्य दर से, जो अधिक हो से की जावेगी।

क्षेत्रीय कार्यालयों, बिलासपुर तथा कोरबा के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि, दो व्यवसायों ने अवधि 1997-98 और 2000-01 के दौरान अपने अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अंतर्गत 8.20 करोड़ रुपये की राशि के कोयला तथा मशीनरी पुर्जे बेचे एवं उस पर क्रेता व्यवसायी द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र के आधार पर चार प्रतिशत की दर से 32.74 लाख रुपये कर अदा किया। जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया एवं व्यवसाई का निर्धारण मार्च 2003 एवं सितंबर 2004 के मध्य किया गया। तथापि, अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि, लेन देन के दौरान क्रेता व्यवसायी केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं था। इस तरह, दोनों व्यवसायों का सम्पूर्ण सकल विक्रय अग्राह्य घोषणा प्रपत्र के अंतर्गत था एवं निर्धारित दर से कर का दायी था। परिणामतः 34.15 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण आयुक्त एवं शासन के जुलाई 2005 एवं फरवरी 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2006)।

2.3 क्रय कर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 और उसके अंतर्गत जारी नियम/अधिसूचनाएँ, कच्चे माल का क्रय, कर चुकाए बिना खपत या माल के निर्माण में उपयोग के लिए क्रय किया गया नैमित्तिक माल पर क्रय कर का आरोपण उपबंधित करती है। म.प्र.राजस्व मंडल ने यह न्यायिक² रूप से माना है कि, विक्रय कर से छूट, माल को क्रय कर के आरोपण से छूट प्रदान नहीं करेगा।

2.3.1 क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि दो विनिर्माताओं के प्रकरण अवधि 1999-2000 एवं 2000-01 के जिनका दिसंबर 2003 तथा फरवरी 2004 में निर्धारण किया गया में, एम.एस.पाईप एवं मशीनरी पुर्जों के निर्माण में उपयोग हेतु 4.05 करोड़ रुपये का कच्चा माल पंजीकृत व्यवसायी से बिना कर के भुगतान के क्रय किया गया। कच्चे माल पर 16.18 लाख रुपये का आरोपणीय क्रय कर आरोपित नहीं किया गया।

दिसम्बर 2005 में इसे इंगित किए जाने के पश्चात, एक प्रकरण में, निर्धारण अधिकारी द्वारा यह उत्तर दिया गया कि, कच्चे माल का क्रय छूट प्राप्त इकाई से किया गया है अतः क्रय कर आरोपणीय नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विक्रय कर तथा क्रय

² गोविन्द प्रसाद अग्रवाल विरुद्ध विक्रय कर अधिकारी (1997) 30 वी.के.एन. 13 (म.प्र.) और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विरुद्ध आयुक्त विक्रय कर (1996) 29 वी.के.एन. 267 (म.प्र.)

कर दो भिन्न प्रकार के कर है और दर्शित न्यायालयीन निर्णयों के अनुसार विक्रय कर की छूट, माल पर क्रय कर के आरोपण से छूट प्रदान नहीं करता। दूसरे प्रकरण में उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण आयुक्त तथा शासन को अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2006)।

2.3.2 क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ के अभिलेखों की नवंबर 2005 में नमूना जांच में प्रकट हुआ कि एक व्यवसायी का प्रकरण अवधि अप्रैल 1999 से मार्च 2000 का नवंबर 2002 में निर्धारण किया गया। अपंजीकृत व्यवसायी से लाए गए और दिसम्बर 1999 तक निर्माण में उपयोगित 4.55 करोड़ रुपये मूल्य के चावल चोकर पर आरोपणीय क्रय कर आरोपित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 20.94 लाख रुपये का क्रय कर का अनारोपण हुआ।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात, निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2005 में बताया कि, चावल चोकर कर मुक्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि, चोकर को एक जनवरी 2000 से कर मुक्त किया गया है और, इस प्रकार क्रय कर आरोपणीय था।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जनवरी 2006 एवं मई 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2006)।

2.4 कर भुगतान से गलत छूट

2.4.1 कर छूट योजना 1986 तथा 1994 के अनुसार, एक व्यवसायी को एक वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक की छूट तभी उपलब्ध होगी जब वह सनदी (चार्टर्ड) लेखाकार द्वारा इकाई में उत्पादन दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र निर्धारित प्राधिकारी के संमुख प्रस्तुत करता है।

क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग तथा वृत्त कार्यालय कोरबा के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि तीन व्यवसायियों के प्रकरण, अवधि 1990-91 और 2000-01 के जिनका निर्धारण मई 2003 से जनवरी 2004 के मध्य किया गया, व्यवसायियों को बिना सनदी लेखाकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये, जो आवश्यक था, 59.93 लाख रुपये की कर में छूट प्रदान की गई। जिसके कारण 59.93 लाख रुपये की कर में गलत छूट दी गई।

इसे मई 2005 और दिसंबर 2005 के मध्य इंगित किए जाने पर एक प्रकरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा यह उत्तर दिया गया कि योग्यता प्रमाण पत्र के अनुसार छूट दिया जाना सही था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह कर छूट योजना के नियम एवं शर्तों के अनुरूप नहीं था। अन्य प्रकरण में उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण जुलाई 2005 एवं जनवरी 2006 में आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2006)।

2.4.2 मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 तथा उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं (जैसा अंगीकृत) के अनुसार एक औद्योगिक इकाई, कर छूट योजना के

अंतर्गत जारी योग्यता प्रमाण पत्र में विशिष्टिकृत विनिर्मित वस्तुओं पर कर भुगतान से छूट प्राप्त करने की अधिकारी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर एवं दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि, दो व्यवसायों के प्रकरण अवधि अप्रैल 1999 से मार्च 2001 जिनके कर निर्धारण अक्टूबर 2002 तथा मई 2003 के मध्य किये गये, 10.63 करोड़ रुपये के कुल विनिर्मित वस्तुओं³ के विक्रय को कर भुगतान से छूट प्रदान की गई, यद्यपि यह वस्तुएं योग्यता प्रमाण पत्र में विशिष्टिकृत नहीं थी। परिणामतः 69.83 लाख रुपये की अनियमित कर की छूट प्रदान की गयी।

इसे इंगित किए जाने पर निर्धारण अधिकारी, दुर्ग ने बताया कि एक प्रकरण में योग्यता प्रमाण पत्र जिसे जुलाई 2002 में संशोधित किया गया, दुबारा जांच के आदेश अक्टूबर 2003 में दिए गए हैं, के अनुरूप छूट को सही दिया गया है। निर्धारण अधिकारी, दुर्ग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, योग्यता प्रमाण पत्र में संशोधन तथा दुबारा जांच के आदेश क्रमशः जुलाई 2002 तथा अक्टूबर 2003 में जारी किए गए, जबकि लेनदेन वर्ष 1999-2000 तथा 2000-01 की अवधि से संबंधित है। निर्धारण अधिकारी, बिलासपुर का उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण आयुक्त तथा शासन को जुलाई 2005 तथा जनवरी 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2006)।

2.4.3 मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, (जैसा अंगीकृत) तथा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम तथा उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत, एक नयी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा जारी योग्यता प्रमाण पत्र की धारक है, कर भुगतान से छूट प्राप्त करने की हकदार है, यदि इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन 06 मई 1994 से या उसके पश्चात प्रारंभ होता है। इस तरह, नयी औद्योगिक इकाई जो उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करती है, कर भुगतान से छूट प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि, योग्यता प्रमाण पत्र की धारक एक औद्योगिक इकाई में अवधि 1999 से 2000 के लिए 1.41 करोड़ रुपये सकल विक्रय घोषित किया तथा कर छूट योजना 1994 के अंतर्गत सम्पूर्ण सकल विक्रय पर छूट का दावा किया। निर्धारण अधिकारी द्वारा छूट अनुमत्य की गई तथा तदनुसार नवम्बर 2002 में व्यवसायी का निर्धारण किया। तथापि, आगामी जांच से प्रकट हुआ कि, इकाई द्वारा 19 मार्च 1994 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया जो योजना में निर्धारित तिथि से पूर्व थी। इस तरह, इस प्रकरण में अनुमत्य की गई कर की 6.62 लाख रुपये की छूट अग्राह्य थी।

इसे इंगित किए जाने पर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि, विभिन्न न्यायिक निर्णयों की दृष्टि से योग्यता प्रमाण पत्र निर्धारण अधिकारी पर बंधनकारक है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी, उद्योग विभाग के साथ प्रकरण को उठाने में असफल रहे

³ फेरो मेगनीज, सोयाबीन/महुआ तेल, सोयाबीन/महुआ के तेल विहीन केक

जबकि यह अभिलेखों से दर्शित था कि योग्यता प्रमाण पत्र में दी गई छूट अनियमित थी।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी 2006 एवं मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2006)।

2.5 कर का कम आरोपण

2.5.1 छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम सहपठित उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार, अधिनियम के अनुसूची में सूचीबद्ध माल का एक पंजीकृत व्यवसायी द्वारा दूसरे पंजीकृत व्यवसायी को विक्रय के लिए उसके स्वयं के उपयोग हेतु माल के विनिर्माण अथवा प्रक्रिया हेतु, विक्रय रियायती दर चार प्रतिशत से कर योग्य है बशर्त वह विनिर्दिष्ट घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।

क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर एवं कोरबा के अभिलेखों की नमूना जांच मई और जून 2005 से प्रकट हुआ कि दो व्यवसायियों के प्रकरण, अवधि अप्रैल 1999 और मार्च 2001 के मध्य हेतु, जिसका निर्धारण जनवरी 2003 और सितंबर 2003 को किया गया, में राशि 1.47 करोड़ रुपये के चूना एवं लकड़ी का विक्रय निर्धारित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं था। तथापि, ऐसे विक्रय पर कर का आरोपण नियत दर के विरुद्ध चार प्रतिशत की रियायती दर पर त्रुटिपूर्ण ढंग से आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 9.48 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर निर्धारण अधिकारी, कोरबा ने उत्तर दिया कि, एक प्रकरण में चूना पर कर चार प्रतिशत था एवं घोषणा पत्र आवश्यक नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चूने का बिना घोषणा प्रपत्र के विक्रय अधिभार सहित नियत दर से कर योग्य था। निर्धारण अधिकारी बिलासपुर से उत्तर प्रतिक्रित है (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण आयुक्त एवं शासन को जुलाई 2005 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2006)।

2.5.2 चार दिसंबर 1997 की अधिसूचना के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवसायी द्वारा अपने नये औद्योगिक इकाई में विनिर्मित माल, जिसके संबंध में उसके पास योग्यता प्रमाण पत्र है, कर भुगतान से छूट प्राप्त है बशर्त उसका विक्रय अधिसूचना के अनुसार घोषणा से समर्थित हो।

क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जांच से अगस्त 2005 में प्रकट हुआ कि, एक व्यवसायी के प्रकरण में, 2000-01 के लिए जिसका निर्धारण सितंबर 2003 में किया गया, 83.12 लाख रुपये के कोयला विक्रय पर कर भुगतान से छूट अनुमत्य की गई, यद्यपि विक्रय निर्धारित घोषणा पत्र से समर्थित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 6.44 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण आयुक्त तथा-शासन को जनवरी 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2006)।

2.6 सकल विक्रय की गलत छूट

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कर योग्य सकल विक्रय का निर्धारण अनुमत्य छूट दिए जाने के पश्चात होता है। प्रत्येक व्यवसायी के लिए यह आवश्यक है कि अपने लेन देन का सही लेखा संधारित करें और तदनुसार कर अदा करें। आगे, जुलाई 1973 में मद्रास उच्च न्यायालय⁴ ने यह न्यायिक रूप से माना की वर्ष के अंत में भुगतान की गई छूट को नगद छूट नहीं माना जा सकता है।

क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के अभिलेखों की मई 2005 में की गई नमूना जांच में प्रकट हुआ कि एक व्यवसायी ने अप्रैल 2002 एवं मार्च 2003 के मध्य की अवधि के लिए 41.44 करोड़ रुपये कर योग्य सकल विक्रय दर्शित किया। व्यवसायी ने क्रेता को नगद छूट के रूप में वर्ष के अंत में दिए गए छूट के आधार पर इसमें से 51.76 लाख रुपये (कर सहित) छूट के दावा किए। जिसे निर्धारण अधिकारी ने वैसे ही स्वीकार किया एवं अक्टूबर 2003 में तदनुसार व्यवसायी का निर्धारण किया गया। चूंकि उपरोक्त संदर्भित न्यायिक निर्णयों के अनुसार वर्ष के अंत में दिए गए छूट को नगद छूट नहीं माना जा सकता, दी गई छूट अनियमित थी एवं परिणामस्वरूप 5.55 लाख रुपये का कम करारोपण हुआ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जुलाई 2005 और मई 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2006)।

2.7 कर योग्य माल को कर मुक्त मानने से कर की वसूली न होना

2.7.1 छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम तथा इसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाएं, विभिन्न वस्तुओं के विक्रय पर वाणिज्यिक कर की दरें विनिर्दिष्ट करती है। 31 दिसम्बर 1999 तक, चावल चोकर पर विनिर्दिष्ट मद न होने से अधिभार सहित 9.2 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था। तथापि, एक जनवरी 2000 से चावल चोकर छूट प्राप्त है।

दो क्षेत्रीय कार्यालयों, रायपुर तथा रायगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में नवंबर तथा दिसम्बर 2005 में प्रकट हुआ कि 58 व्यवसायियों द्वारा अवधि अप्रैल 1999 से दिसम्बर 1999 के मध्य 5.52 करोड़ रुपये के मूल्य का चावल चोकर (कंडा) बेचा एवं सम्पूर्ण सकल विक्रय पर छूट का दावा किया। निर्धारण अधिकारी ने इसे अनुमत्य किया एवं अप्रैल 2002 तथा मार्च 2003 के मध्य तदनुसार व्यवसायी का निर्धारण किया गया। इसके परिणामस्वरूप 50.80 लाख रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात दिसम्बर 2005 में दोनों निर्धारण अधिकारियों ने बताया कि चावल चोकर कर मुक्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चावल चोकर को एक जनवरी 2000 से कर मुक्त किया गया है एवं पूर्व की तिथि से नहीं।

⁴ मै. इंडिया पिस्टन लिमिटेड विरुद्ध तमिलनाडू राज्य (1974) 33 एसटीसी 472 (एमएडी)

प्रकरण विभाग एवं शासन को जनवरी 2006 तथा मई 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2006)।

2.7.2 छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम सहपाठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पशु खाद्य के रूप में तेल विहीन चावल चोकर के विक्रय पर अप्रैल 1999 एवं दिसंबर 1999 के मध्य दो प्रतिशत की दर से तथा जनवरी 2000 एवं मार्च 2000 के मध्य चार प्रतिशत की दर से कर आरोपणिय था।

दिसंबर 2005 में क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि एक व्यवसायी ने अप्रैल 1999 एवं मार्च 2000 की अवधि के मध्य 3.51 करोड़ रुपये मूल्य का तेल विहीन चावल चोकर बेचा एवं पूर्वोक्त विक्रय पर छूट का दावा किया। जिसे निर्धारण अधिकारी ने स्वीकार किया एवं अक्टूबर 2002 में व्यवसायी का निर्धारण किया जो अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप 9.82 लाख रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, दिसंबर 2005 में निर्धारण अधिकारी ने बताया कि तेल विहीन चावल चोकर तथा चावल चोकर एक ही वस्तुएं हैं एवं यह कर मुक्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम उपबंधित करता है कि पशु खाद्य के रूप में तेल विहीन चावल चोकर कर योग्य है।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी 2006 एवं अप्रैल 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2006)।

2.8 कर चुके माल की सकल विक्रय से गलत छूट

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, के अनुसार कर चुके माल का आशय, अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट कोई माल, जिसे राज्य के अंदर किसी व्यवसायी द्वारा एक पंजीकृत व्यवसायी से क्रय किया गया, से है।

वृत्त कार्यालय (III), दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जांच में जनवरी 2006 में प्रकट हुआ कि, एक व्यवसायी का प्रकरण, जिसका अप्रैल 2000 तथा मार्च 2001 के मध्य की अवधि हेतु फरवरी 2004 में निर्धारण किया गया, को 65.99 लाख रुपये मूल्य की तरल पेट्रोलियम गैस के विक्रय पर कर की छूट गलत अनुमत्य की गई जिसे मध्य प्रदेश राज्य से एक नवंबर 2000 अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् क्रय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 9.11 लाख रुपये का कम कर आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को अप्रैल 2006 एवं मई 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2006)।

2.9 प्रतिदाय का गलत दिया जाना/अतिरिक्त संग्रहित कर की जप्ती न होना

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा, कर के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में, संग्रहित कोई राशि जो इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत देय नहीं है, राज्य शासन को जप्ती के योग्य होगी। साथ ही, माननीय उच्चतम न्यायालय⁵ ने यह न्यायिक रूप से माना कि मात्र वही व्यक्ति जो, कर भुगतान का उत्तरदायित्व अंतिम रूप से वहन करता है, वही प्रतिदाय का दावा करने का अधिकारी है। एक व्यवसायी अथवा मध्यस्थ को प्रतिदाय अनुमत्य किया जाना, जिसने मात्र अन्य को बोझा आगे बढ़ाया हो, अनुचित लाभ पहुंचाना है।

निर्धारण अधिकारियों बिलासपुर, दुर्ग एवं कोरबा के अभिलेखों की मई तथा दिसंबर 2005 के मध्य की गई नमूना जांच में प्रकट हुआ कि, चार व्यवसायियों के प्रकरण में, जिनका 1999-2000 एवं 2000-01 की अवधि हेतु निर्धारण मई 2002 तथा फरवरी 2004 में किया गया, 84.54 लाख रुपये का अतिरिक्त कर संग्रहित किया एवं शासन को जमा किया। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस तरह अतिरिक्त संग्रहित कर की जप्ती करने के स्थान पर, उसका व्यवसायी को प्रतिदाय दिया गया। परिणामतः 84.54 लाख रुपये के कर की जप्ती नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, निर्धारण अधिकारियों दुर्ग एवं कोरबा ने जून एवं दिसंबर 2005 के मध्य बताया कि, व्यवसायियों द्वारा संग्रहित कर, साख पत्र के माध्यम से व्यवसायियों ने क्रेता को आगे दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि क्रेता को कर का प्रतिदाय तभी अनुमत्य है जब वह इसे त्रुटिपूर्ण रूप से संग्रहित करता है। इस तरह, व्यवसायी को अतिरिक्त कर का प्रतिदाय, अधिनियम की भावना एवं उपरोक्त संदर्भित अपेक्स कोर्ट के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था। अन्य दो प्रकरणों में, निर्धारण अधिकारी, बिलासपुर ने मई 2005 में बताया कि, प्रतिदाय के 6.19 लाख रुपये में से, राजस्व मंडल⁶ के निर्णय के अनुसार 3.39 लाख रुपये को शासकीय सब्सिडी माना गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मंडल का निर्णय अधिक संग्रहित कर के लिए शास्ति के अनारोपण से संबंधित है और इस तरह दृष्टांत प्रकरण में लागू नहीं होता था। उपरोक्त संदर्भित अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत अधिक संग्रहित कर की जप्ती की जानी थी। शेष राशि के जप्ती न किए जाने के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

⁴ मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध व्यंकटलाल एवं अन्य (1987) 20, वी के एन - 53

⁶ मै. सुराना ट्रेडर्स इन्दौर विरुद्ध आयुक्त वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश (1991) 24-बी.के.एन.715 दि.19.7.91

प्रकरण विभाग तथा शासन को जुलाई 2005 तथा मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2006)।

2.10 साख पत्रों की गलत छूट

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, के उपबंधों के अनुसार विक्रय मुल्य से आशय, किसी माल के विक्रय के लिए मूल्यवान प्रतिफल में से नगद छूट के रूप में अनुमत्य की गई राशि को घटाने के पश्चात व्यवसाई को देय राशि से हैं। पंजीकृत व्यापारी से देय कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक से किया जावेगा। राजस्व मंडल द्वारा न्यायिक रूप से यह माना⁷ गया कि साख पत्रों पर छूट का दावा उसी वर्ष में किया जा सकता है जिसमें संबंधित बिक्री की गई हो।

क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा के अभिलेखों की नमूना जांच में जून 2005 में प्रकट हुआ कि, लोहा एवं स्टील के एक व्यापारी के प्रकरण में जिसका 1999-2000 की अवधि के लिए दिसम्बर 2002 में निर्धारण किया गया, वर्ष 1998-99 में ग्राहकों को जारी 3.62 करोड़ रुपये के साख पत्रों का सकल विक्रय से छूट का अनियमित दावा किया गया था। चूंकि ये साख पत्र पूर्व वर्ष से संबंधित थे, उसकी छूट गलत थी परिणामतः 16.65⁸ लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात, निर्धारण अधिकारी ने बताया कि सकल बिक्री से कटौती नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि व्यापारी द्वारा साख पत्रों की राशि घटाने के बाद सकल टर्नओवर घोषित किया गया था। आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण आयुक्त और शासन को जुलाई 2005 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2006)।

2.11 ब्याज का गलत माफी

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, के प्रावधानों के अधीन यदि कोई व्यापारी बिना किसी पर्याप्त कारण के, उसके द्वारा देय कर को समय पर जमा करने में असफल रहता है तो वह कर के देय होने के दिनांक से, उसके भुगतान के दिनांक या निर्धारण आदेश के दिनांक जो पहले हो, तक दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के अभिलेखों के नमूना जांच में प्रकट हुआ कि, एक व्यापारी ने वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार किये गये कर के साथ विलंब से भुगतान के लिए ब्याज के 5.94 लाख रुपये जमा किये। यद्यपि अधिनियम में ब्याज के माफी का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं था, निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2004 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ब्याज को माफ किया। इसके परिणामस्वरूप 5.94 लाख रु. के ब्याज की अनियमित माफी दी गई।

⁷ वेस्टर्न कोल फील्डस विरुद्ध आयुक्त विक्रय कर (1993) 11 टी एल डी 285 (मध्यप्रदेश मंडल)

⁸ 3.62 करोड़ रुपये पर 4.6 प्रतिशत की दर से गणना की गई।

प्रकरण आयुक्त और शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2005); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

2.12 शास्ति का अनारोपण

छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर अधिनियम, के प्रावधान सहपठित उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी देयक, नगद पर्ची या बीजक, रबर मुद्रा लगाकर और यह कथन लिखकर जारी करेगा कि माल योग्यता प्रमाण पत्र/छूट के लिए योग्य औद्योगिक इकाई द्वारा विनिर्मित कर बेचा गया है और कर भुगतान से छूट प्राप्त है। मुद्रांकन के प्रावधानों के उल्लंघन में व्यवसायी, ऐसे माल पर देय कर के दुगने के बराबर शास्ति के भुगतान का दायी होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग और वृत्त कार्यालय, कोरबा के अभिलेखों के नमूना जांच में जून और दिसम्बर 2005 के मध्य प्रकट हुआ कि दो व्यापारियों के प्रकरण में वर्ष 2000-01 के लिए कर निर्धारण नवम्बर 2003 एवं जनवरी 2004 में हुआ, माल कर छूट योजना के अंतर्गत योग्यता प्रमाण पत्र धारी औद्योगिक इकाई द्वारा विनिर्मित होने से देयकों/बीजकों पर बेचे जाने के कारण कर के भुगतान से छूट प्राप्त थे, किन्तु व्यवसायी ने मुद्रांकित कर आवश्यक प्रमाण पत्र देयकों/बीजकों पर अंकित नहीं किया। अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन के लिए व्यवसायी 6.27 लाख रुपये कर के दुगने, 12.54 लाख रुपये न्यूनतम के बराबर शास्ति के भुगतान हेतु दायी थे जिसके लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई।

प्रकरण जुलाई 2005 और जनवरी 2006 में आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

2.13 वृत्तिकर का वसूल न होना

वृत्तिकर अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयं अथवा एजेंट या प्रतिनिधि के माध्यम से व्यापार करते हैं, अथवा जो कृषि कार्य के अतिरिक्त वृत्ति या आजीविका का अनुसरण करते हैं अथवा जो पूर्णतः या अशंकालिन नियोजन में हैं, निर्धारित दर से वृत्तिकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई मदिरा, छविगृह, विडियो और केबल आपरेटर्स के अनुज्ञप्तिधारियों की सूची के साथ 17 वाणिज्यिक कर अधिकारियों⁹ के अभिलेखों के प्रति सत्यापन से प्रकट हुआ कि 974 मदिरा अनुज्ञप्तिधारी, 374 छविगृह के अनुज्ञप्तिधारी, 421 विडियो अनुज्ञप्तिधारी तथा 1479 केबल आपरेटर्स के अनुज्ञप्तिधारी अपंजीकृत थे। इसके फलस्वरूप वृत्तिकर की 52.70 लाख रुपये की राशि की वसूली¹⁰ नहीं हुई।

प्रकरण मई 2006 में आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2006)।

⁹ वाणिज्य कर अधिकारी रायपुर (5) वाणिज्य कर अधिकारी दुर्ग, (3) वाणिज्य कर अधिकारी रायगढ़ (1), वाणिज्य कर अधिकारी बिलासपुर (2), वाणिज्य कर अधिकारी कोरबा (1), वाणिज्य कर अधिकारी धमतरी (1), वाणिज्य

¹⁰ वृत्तिकर की दर 1000 रुपये और 2500 रुपये प्रतिवर्ष के मध्य हैं।

2.14 माल के न्यून मूल्यांकन के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 1976 (जैसा अंगीकृत) के अनुसार, एक व्यवसायी के संबंध में जो उसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेशित करता है, माल की कीमत से आशय ऐसे माल का बाजार मूल्य होगा यदि उसे क्रय के अलावा अधिगृहित या प्राप्त किया गया है। बाजार मूल्य, संबंधित अवधि के दौरान खुले बाजार में ऐसे माल की कीमत जो साधारण रूप से प्राप्त की जाने योग्य है, को प्रदर्शित करता है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा के अभिलेखों की नमूना जांच से जून 2005 में प्रकट हुआ कि, अवधि 2000-01 के लिए एक व्यवसायी के प्रकरण में, जिसका निर्धारण दिसंबर 2003 में किया गया, निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी के स्वयंम् की खदान से निकाले गये 2.47 लाख मैट्रिक टन बाक्साईट का 703.90 रूपये प्रति मैट्रिक टन की दर से 17.40 करोड़ रूपये बाजार मूल्य निर्धारित किया एवं तदनुसार प्रवेश कर आरोपित किया। तथापि, अभिलेखों के प्रति सत्यापन में प्रकट हुआ कि बाजार से व्यवसायी द्वारा क्रय किए गए बाक्साईट का मूल्य पूर्वोक्त अवधि में 871.30 रूपये मैट्रिक टन था। इसके परिणामस्वरूप, बाजार दर के 167.40 रूपये प्रति मैट्रिक टन के अंतर से 4.14 करोड़ रूपये राशि के बाक्साईट के क्रय मूल्य का न्यून मूल्यांकन 41.39 लाख रूपये के प्रवेश कर के कम करारोपण के परिणाम के साथ हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर निर्धारण अधिकारी ने जून 2005 में बताया कि, माल का निर्धारण एवं मूल्यांकन मध्यप्रदेश राजस्व मंडल के 1987 में दिए गए निर्णय अनुसार ही किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि, व्यवसायी जो स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश प्रभावी करवाता है, के संबंध में बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए था एवं निर्धारण अधिकारी द्वारा उल्लेखित मंडल का निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त, बाक्साईट का बाजार मूल्य 871.30 प्रति मैट्रिक टन अर्थात् मूल्य जिस पर व्यवसायी ने इसी अवधि में राज्य के अंदर एवं बाहर से बाक्साईट क्रय किया था, व्यवसायी के स्वयंम् के प्रकरण अभिलेखों पर उपलब्ध था।

प्रकरण आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; (मई 2006) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2006)।

2.15 प्रवेश कर का अनारोपण

मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम (यथा अंगीकृत) तथा उसके अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार माल जो स्थानीय क्षेत्र में बिक्री, उपयोग हेतु अथवा कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु, अनुषांगिक माल अथवा पैकिंग सामग्री हेतु लाया जाता है, उस पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। अनुसूची-III की मद होने से विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोगित चावल चोकर पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।

क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में नवम्बर 2005 में प्रकट हुआ कि, अप्रैल 1999 से दिसम्बर 1999 की अवधि हेतु एक प्रकरण जिसका निर्धारण नवम्बर 2002 में किया गया, चावल चोकर पर प्रवेश कर आरोपणीय था परन्तु आरोपित

नहीं किया गया। इस प्रकार विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोगित 4.55 करोड़ रुपये के क्रय मूल्य के चावल चोकर पर देय प्रवेश कर 4.55 लाख रुपये आरोपित नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2005 में बताया कि वाणिज्य कर अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुसार चावल चोकर कर मुक्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चोकर को कर मुक्त श्रेणी में अनुसूची-1 में एक जनवरी 2000 से लाया गया।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जनवरी 2006 एवं मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2006)।

तीसरा अध्याय- राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के अभिलेखों की नमूना जांच में, कर निर्धारण नहीं होने, न्यून निर्धारण, राजस्व हानि एवं शास्ति आरोपित न करने के, राशि 45.40 करोड़ रुपये के 759 प्रकरण प्रकट हुए, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	उत्पाद शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	122	1.49
2.	अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि	02	17.72
3.	अतिरिक्त अपव्यय पर करों की वसूली/आरोपण न होना	232	0.14
4.	अन्य	403	26.05
	योग	759	45.40

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने कर के न्यून निर्धारण की राशि 20.32 करोड़ रुपये के 577 प्रकरण स्वीकार किए। 4.09 करोड़ रुपये को समाहित करते हुए कुछ विस्तृत प्रकरण क्रमवार कंडिकाओं में दिए गए हैं।

3.2 शीरा से अल्कोहल का उत्पादन शर्करा की मात्रा के अनुरूप न होना

मध्य प्रदेश आसवानी नियम, 1995 (छत्तीसगढ़ राज्य में यथा अंगीकृत) के अनुसार शीरा में विद्यमान प्रति कुंटल किण्वन योग्य शर्करा से न्यूनतम 91.8 ग्रुफ लिटर अल्कोहल प्राप्त होना चाहिए। नियमानुसार आसवानी अधिकारी, राज्य उत्पाद आयुक्त द्वारा निर्धारित अंतराल पर शीरे के नमूने लेगा एवं उन्हें शीरा में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा के निर्धारण के लिए विभागीय प्रयोगशाला में भेजेगा। विभागीय प्रयोगशाला के प्रतिवेदन के आधार पर आसवानी अधिकारी द्वारा अपेक्षित अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा की गणना की जावेगी। यदि अल्कोहल का उत्पादन निर्धारित न्यूनतम मात्रा से कम होता है तो आसवानी अधिकारी अल्कोहल की कम उत्पादित मात्रा के लिए 30 रुपये प्रति ग्रुफ लीटर की दर से शास्ति आरोपित करेगा।

बिलासपुर जिले की एक आसवानी के अभिलेखों की नमूना जांच में अक्टूबर 2005 में प्रकट हुआ कि 3 जून 2004 से 29 नवंबर 2004 के अवधि के दौरान पांच समूहों के 19 नमूनों को जांच हेतु लिया गया एवं विभागीय प्रयोगशाला में जांच की गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त अवधि में आसवानी में प्रयुक्त 40250 क्विंटल शीरा में किण्वन योग्य शर्करा की मात्रा 16987 क्विंटल थी। शीरा में विद्यमान शर्करा की मात्रा एवं वर्ग के अनुसार आसवानी में 1559498 ग्रुफ लीटर अल्कोहल के उत्पादन के एवज में 1388462 ग्रुफ लीटर अल्कोहल उत्पादित किया गया। इस प्रकार वसूली में 171036 ग्रुफ लीटर अल्कोहल की कमी रही जिस पर निर्धारित दर से राशि 51.31 लाख रुपये की शास्ति आरोपणीय थी परन्तु आरोपित नहीं की गई। परिणामस्वरूप 51.31 लाख रुपये की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

इसे अक्टूबर 2005 में इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी (आसवानी) बिलासपुर ने बताया कि आवश्यक जांच कर तथ्य सूचित किए जावेंगे। आगामी उत्तर अपेक्षित था (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण विभाग एवं शासन को दिसंबर 2005 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2006)।

3.3 परिवहन में देशी मदिरा के मार्गस्थ हानि पर उत्पाद शुल्क की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ देशी मदिरा नियम, 1995 के अनुसार, विनिर्माण मद्य भण्डागार से जिले में स्थित भण्डारण मद्य भण्डागार तक देशी मदिरा की मोहरबंद बोटलों के परिवहन में मार्गस्थ हानि 0.1 प्रतिशत की दर से अनुमत्य है। सीमा से अधिक मार्गस्थ हानि हेतु आबकारी शुल्क अनुज्ञप्तिधारी से वसूल किया जाना चाहिए।

सहायक आयुक्त, आबकारी, बिलासपुर एवं जांजगीर-चांपा के अभिलेखों की फरवरी एवं सितंबर 2005 के मध्य की गई नमूना जांच में प्रकट हुआ कि विनिर्माण मद्य भण्डागार से 1945215 ग्रुफ लीटर देशी मदिरा का परिवहन उसी जिले में स्थित भण्डारण मद्य भण्डागार को नवंबर 2002 से अगस्त 2005 तक किया गया था। जिसमें से 1927355 ग्रुफ लीटर देशी मदिरा ही प्राप्त की गयी। 17859.5 ग्रुफ लीटर

मार्गस्थ हानि स्वीकार की गई जो अनुमत्त मार्गस्थ हानि 1945.20 प्रुफ लीटर से 15914.30 प्रुफ लीटर अधिक थी, इस प्रकार देशी मदिरा की अधिक हानि हुई जिस पर आबकारी शुल्क 7.64 लाख रुपये आरोपणीय था लेकिन आरोपित नहीं की गई। इसके फलस्वरूप रू. 7.64 लाख के आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई।

फरवरी 2005 में इसे इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त आबकारी जांजगीर-चांपा ने मई 2006 में बताया कि आसवक के विरुद्ध मांग की सूचना जारी की जा रही थी, जबकि सहायक आयुक्त आबकारी बिलासपुर ने मई 2006 में बताया कि 2.42 लाख रुपये की वसूली अप्रैल 2006 में कर लिया गया था। आगामी उत्तर प्रतिक्षित था (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण आबकारी आयुक्त रायपुर एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2006)।

3.4 प्रक्रिया व्यय की मांग न किया जाना

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 उपबंधित करता है कि, शासन के समस्त देय जिसे चुककर्ता द्वारा जमा नहीं किया गया है की वसूली भूराजस्व के बकाया के रूप में मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अनुसार की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम 1987 (छत्तीसगढ़ में यथा अंगीकृत) पुनः प्रावधानित करता है कि बकाया की मूल राशि का तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के प्रकरण में चुककर्ता को जारी होने वाले मांग सूचना में सम्मिलित किए जाने चाहिए।

जिला आबकारी अधिकारी महासमुंद के अभिलेखों की नमूना जांच में दिसंबर 2005 में प्रकट हुआ कि, वर्ष 2003-04 के दौरान पांच प्रकरणों में चुककर्ताओं को जारी संबंधित मांग सूचना में बकाया की मूल राशि 4.12 करोड़ रुपये में से प्रक्रिया व्यय के रूप में 12.37 लाख रुपये समाविष्ट नहीं किये गये थे। जिसके परिणामस्वरूप 12.37 लाख रुपये के प्रक्रिया व्यय की मांग जारी नहीं की गई।

दिसंबर 2005 में इसे इंगित किए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि, आबकारी अधिनियम में उपबंधों के अभाव में प्रक्रिया व्यय की वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रक्रिया व्यय की मांग जारी करने, देय की वसूली भू राजस्व के बकाया की तरह करने हेतु मध्य प्रदेश लोक धन अधिनियम विशिष्टतः उपबंधित करता है। आगामी उत्तर प्रतिक्षित था (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को मार्च 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2006)।

3.5 स्प्रिट का न्यूनतम स्कंध न रखने पर शास्ति का अनारोपण

3.5.1 मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 (छत्तीसगढ़ में यथा अंगीकृत) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक विनिर्माण भण्डागार में पिछले माह में सात दिन में जारी औसत के बराबर का स्प्रिट का न्यूनतम स्कंध बनाये रखना आवश्यक है। यदि वह परिशोधित स्प्रिट के विनिर्माण भण्डागार में न्यूनतम स्टॉक रखने पर असफल रहता है तो, न्यूनतम निर्धारित स्कंध से कम पायी गई परिशोधित स्प्रिट पर 2/- रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से कलेक्टर शास्ति आरोपित कर सकता है। यह विचार किए बिना कि शासन को हानि हुई अथवा नहीं, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस शास्ति का भुगतान किया जावेगा।

परसदा, जिला बिलासपुर स्थित आसवानी के अभिलेखों की नमूना जांच से सितंबर 2005 में प्रकट हुआ कि 18 जून 2004 से 3 अगस्त 2005 की अवधि में 15 बार 1129269 प्रूफ लीटर स्प्रिट निर्धारित न्यूनतम स्कंध (78007.8 प्रूफ लीटर प्रतिदिन) से कम पाया गया। उक्त दिनों में कम पाई गई स्कंध की मात्रा के लिए न्यूनतम शास्ति आरोपित नहीं की गई, इसके परिणामस्वरूप 22.59 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

सितम्बर 2005 में इसे इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त आसवानी बिलासपुर ने बताया कि, मदिश की आपूर्ति की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उक्त नियम के अनुसार भण्डागार में निर्धारित न्यूनतम स्कंध का संधारण आवश्यक था।

प्रकरण विभाग एवं शासन को दिसंबर 2005 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2006)।

3.5.2 मध्य प्रदेश आसवानी नियम 1995 (छत्तीसगढ़ में यथा अंगीकृत) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी, समय समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया स्प्रिट का न्यूनतम स्कंध आसवानी में बनाये रखेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आबकारी आयुक्त, न्यूनतम निर्धारित स्कंध से कम पायी गयी स्प्रिट की मात्रा पर 5/- रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति आरोपित कर सकता है यह विचार किए बिना कि शासन को वास्तविक रूप से हानि हुई अथवा नहीं, शास्ति भुगतान योग्य होगी।

जिला बिलासपुर एवं दुर्ग स्थित दो आसवानियों के अभिलेखों की नमूना जांच सितंबर 2005 एवं जनवरी 2006 में प्रकट हुआ कि एक मार्च 2005 से 31 दिसंबर 2005 के मध्य अनुज्ञप्तिधारी आसवानियों में 52 बार स्प्रिट के निर्धारित न्यूनतम स्कंध को 43.43 लाख प्रूफ लीटर से बनाये रखने में असफल रहे। 2.17 करोड़ रुपये की शास्ति आरोपणीय थी परन्तु आरोपित नहीं की गई।

इसे सितंबर 2005 एवं जनवरी 2006 में इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त आबकारी बिलासपुर ने जुलाई 2006 में उत्तर दिया कि आसवानी में संधारित स्प्रिट की न्यूनतम निर्धारित मात्रा से कम मात्रा के संबंध में प्रतिवेदन आयुक्त आबकारी को भेजा जा रहा है। आगामी उत्तर प्रतिक्षित था (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित (दिसंबर 2005) किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2006)।

3.6 नये अनुज्ञापतिधारी को सौंपे गये शेष स्कंध से कर, मदिरा की लागत तथा अन्य शुल्क वसूल न करना

शासन की अधिसूचना दि. 23 मई 2001 के अनुसार, किसी देशी मदिरा दुकान के अनुज्ञापति की अवधि समाप्त होने पर शेष स्कंध थोक भण्डागार को वापिस होगा। शेष स्कंध का आबकारी शुल्क जो पूर्व में जमा किया गया है, शुल्क को अनुज्ञापतिधारी को वापिस नहीं किया जायेगा। आबकारी आयुक्त के आदेशों से शेष स्कंध का निराकरण किया जावेगा। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 उपबंधित करता है कि, शुल्क के भुगतान को छोड़कर किसी मादक पदार्थों का आयात, निर्यात या परिवहन नहीं किया जावेगा।

सहायक आयुक्त आबकारी, बिलासपुर तथा जिला आबकारी अधिकारी जशपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में सितंबर एवं अक्टूबर 2005 में प्रकट हुआ कि, दि. 11 अप्रैल 2005 को आबकारी विभाग द्वारा 109503 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा 95706 प्रूफ लीटर देशी मदिरा एवं 132 दुकानों में 52132 बल्क लीटर बीअर के शेष स्कंध को, पूर्व के आबकारी शुल्क के वसूल किये बिना नये अनुज्ञापतिधारी को सौंपा गया। जिसके परिणामस्वरूप 97.64 लाख रुपये के आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई।

अक्टूबर 2005 में इसे इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त आबकारी बिलासपुर ने जुलाई 2006 में बताया कि, संबंधित अनुज्ञापतिधारियों को सूचनाएं जारी की गई थी। जिला आबकारी अधिकारी जशपुर ने अक्टूबर 2005 में उत्तर दिया कि नये अनुज्ञापतिधारियों को 11 अप्रैल 2005 को शेष स्कंध सौंपे जिसके लिए 10.36 लाख रुपये नये अनुज्ञापतिधारियों से वसूल योग्य थे, जिसमें से रू. 8.23 लाख रुपये आबकारी शुल्क के रूप में समायोजित किए गए और शेष राशि 2.13 लाख रुपये हेतु नये अनुज्ञापतिधारियों को सूचना जारी की जा रही थी।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को (दिसंबर 2005 तथा जनवरी 2006) प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान में वाहनों पर कर से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में करों का निर्धारण नहीं होने तथा राजस्व हानि के 2.99 करोड़ रुपये के 852 प्रकरण प्रकट हुए जिन्हें मौटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(करोड़ रुपये में)

स.क्रं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वाहन कर का कम/अनारोपण	777	2.85
	अन्य	75	0.14
	योग	852	2.99

वर्ष के दौरान 142 प्रकरणों में 0.37 करोड़ रुपये की वसूली की गई। 2.11 करोड़ रुपये को समाविष्ट करते हुए महत्वपूर्ण प्रकरण आगामी कंडिकाओं में उल्लेखित है:

4.2 वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग हेतु रखे गए प्रत्येक वाहन पर निर्धारित दर से करारोपण किया जावेगा। देय कर जमा न करने पर वाहन स्वामी प्रतिमाह या उसके भाग की चूक के लिए कर की असंदत्त राशि के 1/12 की दर से लेकिन असंदत्त कर से अधिक नहीं, शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा। यदि वाहन स्वामी असंदत्त कर या शास्ति या दोनों भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह मांग पत्र जारी करें एवं बकाया की वसूली भू-राजस्व की तरह करें।

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंबिकापुर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायगढ़ तथा रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में सितंबर 2005 से नवम्बर 2005 के मध्य प्रकट हुआ कि मई 2002 से मार्च 2005 के मध्य विभिन्न प्रकार के 364 वाहनों जैसे मालयाने, निजी सेवा वाहनें, लोक सेवा वाहन, मंजिली यानें आदि के 1.08 करोड़ रुपये वाहन कर एवं 1.03 करोड़ रुपये की शास्ति आरोपित एवं वसूल नहीं की गई। परिणामस्वरूप 2.11 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे मई 2006 में इंगित किये जाने पर परिवहन आयुक्त ने सितंबर 2006 में उत्तर दिया कि 142 प्रकरणों में 36.76 लाख रुपये की वसूली की गई और 44.19 लाख रुपये वसूली समय पर प्रभावित नहीं होने के कारण वसूली योग्य नहीं रहे। शेष राशि 1.30 करोड़ रुपये की वसूली सूचित की जावेगी। आगामी उत्तर प्रतिक्षित था (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण शासन को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2006)।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अभिलेखों की नमूना जांच में राजस्व के निर्धारण नहीं होने/न्यून निर्धारण के 1.61 करोड़ रुपये के 810 प्रकरण प्रकट हुए, जिन्हें मौटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरण की संख्या	राशि
1.	संपत्तियों के न्यून मूल्यांकन से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली	329	0.75
2.	अन्य अनियमितताएं	481	0.86
	योग	810	1.61

राशि 0.17 करोड़ रुपये को समाहित करते हुए कुछ विस्तृत प्रकरण निम्नलिखित कंडिकाओं में उल्लेखित हैं।

5.2 मुद्रांक शुल्क की गलत छूट

भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के प्रावधानानुसार प्रत्येक विलेख पर उसकी प्रकृति तथा मूल्य के अनुसार निर्धारित दरों से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस देय है। शासन द्वारा मार्च 1982 में जारी अधिसूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के भूस्वामी/पट्टा धारक तथा अन्य भूमि स्वामी/पट्टा धारक जो 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि के धारक नहीं हैं, के द्वारा कृषि प्रयोजनों¹¹ हेतु लिए गए ऋण के लिए निष्पादित बंधक/गिरवी विलेख मुद्रांक एवं पंजीयन फीस के भुगतान से मुक्त है। अगस्त 1989 और सितंबर 2003 में पुनः निर्देशित किया गया है कि संबंधित अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विलेखों में ऋण का प्रयोजन स्पष्टतः उल्लेखित हो एवं जो कृषि प्रयोजनों की परिभाषा के अंतर्गत आता हो।

उपपंजीयक कांकेर तथा नारायणपुर के अभिलेखों की मई एवं सितंबर 2005 में की गई नमूना जांच से प्रकट हुआ कि, अप्रैल 2001 से फरवरी 2004 में पंजीकृत किए गए 44 बंधक विलेख जिनमें 65.81 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति जो गृह निर्माण, जीप/मोटर साईकल खरीदी तथा ईट भट्टी हेतु थे, पर रू. 3.85 लाख रुपये के मुद्रांक एवं पंजीयन फीस की छूट प्रदान की गई। एक प्रकरण में भूमिस्वामी द्वारा धारित भूमि 10 हेक्टेयर से अधिक थी एवं तीन प्रकरणों में विलेख में ऋण का प्रयोजन उल्लेखित नहीं था। जिसके परिणामस्वरूप रू. 3.85 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने पर उप पंजीयक कांकेर ने उत्तर दिया कि सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जावेगी, उप पंजीयक नारायणपुर ने बताया कि उचित जांच पश्चात प्रकरण मुद्रांक कलेक्टर के पास भेजा जावेगा। इस प्रकरण में आगे का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा शासन को जुलाई 2005 एवं नवंबर 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2006)।

5.3 संपत्तियों का न्यून मूल्यांकन

भारतीय मुद्रांक अधिनियम यथा संशोधित अगस्त 2000 की धारा 47(अ) के अनुसार, यदि पंजीयन अधिकारी को पंजीयन के समय यह विश्वास करने के कारण हों कि संपत्ति का बाजार मूल्य विलेख में सही अथवा उचित रूप से नहीं दर्शाया गया है, तो वह विलेख को ऐसे संपत्ति के सही बाजार मूल्य का निर्धारण करने हेतु कलेक्टर मुद्रांक की ओर संदर्भित करेगा।

¹¹ जमीन को बुआई कार्य हेतु उपयुक्त करना, भूमि के उन्नयन एवं फसलों की कटाई, बर्गीकरण, वृक्षारोपण एवं कृषिकर्म, पशुपालन, दूध व्यवसाय, बिजोत्पादन, सूअर पालन एवं कुक्कुट पालन तथा ऐसी गतिविधियों से जुड़ी हुई मशीनरी एवं उपकरणों का अधिग्रहण

पाँच उप पंजीयकों¹² के अभिलेखों की नमूना जांच से मई और नवंबर 2005 के मध्य प्रकट हुआ कि 77 विलेख जिनका पंजीयन जनवरी 1997 से मार्च 2005 के मध्य किया गया था, का बाजार मूल्य 1.70 करोड़ रुपये आका गया जबकि कलेक्टर द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देश दलों के आधार पर बाजार मूल्य 3.04 करोड़ रुपये आंकलित किया गया था। उपपंजीयकों ने इन प्रकरणों को सही बाजार मूल्य एवं उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण हेतु मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित नहीं किया। इसके फलस्वरूप 13.26 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, उप पंजीयक नारायणपुर एवं जगदलपुर ने मई एवं अक्टूबर 2005 में बताया कि प्रकरण में कार्यवाही की जानी थी। अन्य प्रकरणों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2006)।

5.4 प्रकरणों के निराकरण में अपरिमित विलंब

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (अ) के अनुसार, यदि पंजीयन अधिकारी द्वारा किसी विलेख के पंजीकरण के समय यह पाता है कि, किसी विलेख में संपत्ति का मूल्य, दिशा निर्देशों के अनुसार आंकलित बाजार मूल्य से कम है, तो वह ऐसे विलेख के सही बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु उसे कलेक्टर मुद्रांक को संदर्भित करेगा। मध्य प्रदेश शासन के मार्च 1977 में जारी किये गये निर्देशानुसार कलेक्टर को संदर्भित किए गए प्रकरणों का अंतिम निराकरण संदर्भित करने के दिनांक से नौ माह के अंदर किया जाना चाहिए था। छत्तीसगढ़ शासन ने पत्र दिनांक 17 सितंबर 2003 द्वारा उक्त अवधि को कम कर 90 दिन कर दिया था।

फरवरी एवं सितंबर 2005 के मध्य पाँच उप पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि जुलाई 1988 से अप्रैल 2005 के मध्य 67 विलेखों को सही बाजार मूल्य निर्धारण हेतु कलेक्टर मुद्रांक को नीचे दर्शाए अनुसार संदर्भित किया गया था:

स. क्र.	उपपंजीयक का नाम	कलेक्टर को संदर्भित विलेखों की संख्या	माह जिसमें प्रेषित किया गया	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि (लाख रुपये में)
1.	उप पंजीयक गरियाबंद	10	जून 1999 एवं अप्रैल 2004	2.47
2.	उप पंजीयक जांजगीर	31	अप्रैल 2003 से जुलाई 2004	8.07
3.	उप पंजीयक बिलासपुर	12	जुलाई 2001 से अप्रैल 2003	2.46
4.	उप पंजीयक कांकेर	10	जुलाई 1988 से फरवरी 2003	1.80
5.	उप पंजीयक सूरजपुर	4	फरवरी 2005 से मई 2005	1.63
	योग	67		16.43

प्रकरण सही बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु अभी भी कलेक्टर मुद्रांक के पास लंबित थे। विलंब 11 से 191 माह के बीच था जिसके परिणामस्वरूप 16.43 लाख रुपये का राजस्व अवरुद्ध हुआ।

¹² गरियाबंद, धरघोड़ा, जगदलपुर केशकाल एवं नारायणपुर

इसे फरवरी एवं सितम्बर 2005 के मध्य इंगित किए जाने पर उपपंजीयकों द्वारा उत्तर में बताया गया कि संबंधित मुद्रांक कलेक्टरों को प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु अनुरोध किया जावेगा।

प्रकरण जून 2005 से नवंबर 2005 के मध्य महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 में वन प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान 53.81 करोड़ रुपये की राजस्व हानि के 186 प्रकरण प्रकट हुए हैं, जिन्हें मौटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	लठ्ठों के कम उत्पादन से हानि	48	50.90
2.	अन्य	138	2.91
	योग	186	53.81

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 7.17 करोड़ रुपये का एक प्रकरण स्वीकार किया। राशि 12.54 करोड़ रुपये को समाहित करते हुए विस्तृत प्रकरण निम्नलिखित कंडिकाओं में उल्लेखित है।

6.2 संग्रहण/सावधिक जमा के रूप में निधियों के जमा न करने के कारण ब्याज की हानि

भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मार्च एवं सितंबर 2004 में निर्देश जारी किया कि राज्य सरकार को वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों हेतु भूमि में परावर्तित किये जाने पर उपयोगकर्ता एजेंसी से क्षतिपूरक वनीकरण एवं निवल वर्तमान मूल्य के लिए निधियाँ प्राप्त करनी चाहिए एवं ऐसी निधियों को जो राज्य का वन विभाग निर्धारित करें संबंधित वनमंडल अधिकारी के नाम से अथवा राज्य के नोडल अधिकारी के नाम से सावधि जमा में रखना चाहिए। वर्ष 2003 से 2005 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा पर ब्याज 5.5 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत के बीच प्राप्त होता था।

6.2.1 मार्च 2006 में वनमंडल अधिकारी, धमतरी के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि जुलाई 2004 से अगस्त 2005 के मध्य सिंचाई विभाग के अंतर्गत पानी की टंकी बनाने हेतु 316.276 हेक्टेयर वन भूमि की अनुमति दी गई। तथापि 6 से 30 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी निवल वर्तमान मूल्य की राशि 24.67 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की गई। इसके फलस्वरूप न केवल राशि 24.67 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई अपितु उस पर अर्जित न्यूनतम ब्याज 1.20 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर वनमंडल अधिकारी ने बताया कि निवल वर्तमान मूल्य की राशि के संग्रहण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। वसूली पर आगामी उत्तर प्रतिक्षित था (अक्टूबर 2006)।

6.2.2 उसी प्रकार मार्च एवं मई 2006 के मध्य आठ¹³ वनमंडलों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि, वर्ष 2003-04 से 2004-05 के दौरान 1,464.653 हेक्टेयर वन भूमि का परिवर्तन गैर वानिकी उद्देश्यों हेतु किया गया था। उपयोगकर्ता एजेंसी से इसके एवज में प्राप्त निवल वर्तमान मूल्य की राशि 118.09 करोड़ रुपये को सावधि जमा की जगह व्यक्तिगत जमा खातों में जमा किया गया। इस तरह 118.09 करोड़ रुपये सावधि जमा की जगह व्यक्तिगत जमा खातों में 11 से 25 माह की अवधि तक जमा रखने के कारण न्यूनतम 10.35 करोड़ रुपये¹⁴ ब्याज की हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर चार¹⁵ वनमंडल अधिकारियों ने मार्च एवं मई 2006 के मध्य बताया कि, राज्य शासन के निर्देशानुसार राशि व्यक्तिगत जमा खातों में जमा की गई थी तथा भारत सरकार का मार्च 2004 का आदेश कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। शेष चार¹⁶ वनमंडल अधिकारियों के उत्तर अभी प्रतिक्षित थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि, भारत सरकार के मार्च 2004 तथा सितंबर 2004 के निर्देश स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को निर्दिष्ट करते हैं कि राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा किया जावे।

¹³ वन मंडल अधिकारी धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, पूर्व रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकर, दुर्ग, कवर्धा

¹⁴ वर्ष 2003 से 2005 के दौरान प्रचलित न्यूनतम ब्याज दर 5.5 प्रतिशत के अनुसार गणना की गई।

¹⁵ वनमंडल अधिकारी धमतरी, बिलासपुर, पूर्व रायपुर, राजनांदगांव

¹⁶ वनमंडल अधिकारी दंतेवाड़ा, कांकर, दुर्ग, कवर्धा

प्रकरण शासन को मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2006)।

6.3 लठ्ठों के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा जनवरी 1984 में दिए गए निर्देशानुसार गिराए गए वृक्षों से प्राप्त लठ्ठों/लकड़ी की परिक्षेत्रीय शाखा द्वारा प्राक्कलित तथा उत्पादन शाखा के अनुसार वास्तविक प्राप्त मात्रा में 10 प्रतिशत तक का अंतर अनुमत्य किया जावेगा।

वर्ष 2001-05 हेतु तीन संभागों के अभिलेखों की अक्टूबर 2003, मार्च एवं अप्रैल 2006 में की गई नमूना जांच में प्रकट हुआ कि लठ्ठों एवं जलाऊ लकड़ी की प्राक्कलित मात्रा एवं वास्तविक उत्पादन में प्राप्त मात्रा में निम्नानुसार बड़ा अंतर देखा गया:

स. क्र.	संभाग	वर्ष	विवरण	प्राक्कलित मात्रा (घनमीटर)	वास्तविक प्राप्त मात्रा (घनमीटर)	कमी (घनमीटर)	कमी का प्रतिशत	समाहित राजस्व ¹⁷ (लाख रुपये में)
1.	वनमंडल अधिकारी धमतरी	2002-03	लठ्ठ	1,023,218	689,688	333,530	33	42.66
			जलाऊ लकड़ी	2,396	1,322	1,074	45	
		2003-04	लठ्ठ	2,336,000	1,241,163	1,094,837	47	
			जलाऊ लकड़ी	4,059	1,912	2,147	53	
2.	वनमंडल अधिकारी पूर्व रायपुर	2001-02	लठ्ठ	1,156,904	345,141	811,763	70	52.87
			जलाऊ लकड़ी	3,433	2,462	971	28	
		2003-04	लठ्ठ	595,265	225,484	369,781	62	
			जलाऊ लकड़ी	1,023	768	255	25	
		2004-05	लठ्ठ	1,024,144	680,655	343,479	34	
3.	वनमंडल अधिकारी कौरबा	2002-03	लठ्ठ	71,915	20,456	51,459	72	3.96
			जलाऊ लकड़ी	898	196	702	78	
		योग	लठ्ठ	6,207,446	3,202,687	3,004,859	48	
जलाऊ लकड़ी	11,809	6,660	5,149	44				

लठ्ठों के मामले में वास्तविक उत्पादन में कमी 33 से 72 प्रतिशत तथा जलाऊ लकड़ी के प्रकरण में 25 से 78 प्रतिशत थी। 99.49 लाख रुपये के राजस्व को समाहित करते हुए लठ्ठों में 3004.859 घनमीटर एवं जलाऊ लकड़ों में 5149 से उत्पादन में कमी रही। वास्तविक उत्पादन में कमी के कारणों को जानने के लिए किसी भी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण 99.49 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर मार्च 2006 में वनमंडल अधिकारी धमतरी ने बताया कि संभाग के विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के कारणों से कम प्राप्ति हुई। अप्रैल 2006 में वनमंडल अधिकारी रायपुर पूर्व ने बताया कि फार्म फेक्टर के आधार पर उत्पादन का

¹⁷ लठ्ठों का विक्रय मूल्य 4.142 से 7 रुपये तथा जलाऊ लकड़ी का विक्रय मूल्य 500 रुपये से 570 रुपये के मध्य मानकर गणना की गई।

प्राक्कलन किया जाता है तथा कूपों में जैविक दबाव व सघन बसाहट के कारण लकड़ी के उत्पादन में कमी रही। वनमंडल अधिकारी कोरबा ने अक्टूबर 2003 में बताया कि प्राक्कलित उत्पादन का आंकलन खड़े वृक्षों के आधार पर किया गया था जबकि वास्तविक उत्पादन का आंकलन डिपो में गिराये गए वृक्षों की माप पर किया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वृक्षों का चिन्हाकन तथा उत्पादन का प्राक्कलन इन समस्त कारकों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। यद्यपि, प्राक्कलित तथा वास्तविक उत्पादन में अत्यधिक अंतर की जांच शासकीय राजस्व के हित में की जानी चाहिए।

प्रकरण शासन को जून 2004 एवं मई 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2006)।

6.4 बाँस कूपों से विदोहन न होने से राजस्व का अवरूद्ध होना

संभाग की संबंधित कार्ययोजना में निर्धारित किए अनुसार बाँसों का काटना/विदोहन चार वर्षों के दोहन चक्र में किया जाता है। बाँस फसल का दोहन न करने से वह नई कोपलों/गुच्छों की वृद्धि को रोकता है जो अंततः भविष्य की बाँस फसल का निर्माण करता है।

तीन वन मंडलाधिकारियों बीजापुर, राजनांदगांव एवं रायपुर तथा तीन वनसंरक्षक बस्तर, दुर्ग एवं कांकेर के अभिलेखों की सितंबर 2005 एवं मई 2006 में कि गई नमूना जांच में प्रकट हुआ कि, 88 बाँस कूपों से 25148.536 नोशनल टन बाँस जिसका विदोहन किया जाना था, का 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि में विदोहन नहीं किया गया था। इस तरह, 6.53 करोड़ रुपये¹⁸ का राजस्व अवरूद्ध हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर वनमंडल अधिकारी, राजनांदगांव, बीजापुर ने बताया (सितंबर 2005 तथा जनवरी 2006) कि कूपों में विदोहन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी न होने तथा नक्सलवादी गतिविधियों के कारण नहीं हुआ। यह भी बताया कि प्रकरणों को अपलेखन हेतु संबंधित वनसंरक्षकों के पास प्रेषित किया गया था। वनमंडल अधिकारी रायपुर ने बताया (मई 2006) कि चूंकि कूपों के विदोहन हेतु योग्य नहीं थे, उन्हें अपलेखित करने का प्रस्ताव वनसंरक्षक को भेजा गया एवं उसमें से कुप ब चेंगरीया का अपलेखन वन संरक्षक द्वारा किया जा चुका है। तीन वृत्त (वनसंरक्षक बस्तर, दुर्ग एवं कांकेर) के उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2006)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि मार्च 1998 में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) ने ऐसे सभी कारणों को पूर्व में ही अग्राह्य करते हुए समाप्त कर दिया एवं समस्त वन संभागों को कार्य योजना के अनुसार निरंतर कार्य करने हेतु निर्देशित किया। प्रकरण विभाग और शासन (मई एवं जून 2006) को प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2006)।

¹⁸ प्राक्कलित उत्पादन की गणना, अवधि 2004-05 के दौरान गिराए गए कूपों के औसत वास्तविक उत्पादन एवं रायपुर संभाग के वर्ष 1999-2000 से 2008-09 तक के लिए कार्य योजना के भाग-11 के अध्याय 8 के आधार पर की गई।

सातवाँ अध्याय : विद्युत एवं सुरक्षा

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 में विद्युत एवं सुरक्षा के अभिलेखों की नमूना जाँच में, विकास कर नहीं लगाने/कम वसूली के 2.48 करोड़ रुपये के छः प्रकरण प्रकट हुए, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	विद्युत ऊर्जा उत्पादकों से विकास उपकर वसूल न किया जाना	1	0.47
2.	विद्युत प्रतिष्ठापनों का निरीक्षण नहीं करने से हानि	1	0.83
3.	अन्य	4	1.18
	योग	6	2.48

राशि 1.30 करोड़ रुपये को समाहित करते हुये कुछ प्रकरण निम्न कंडिकाओं में उल्लेखित है:

7.2 विद्युत ऊर्जा उत्पादकों से विकास उपकरण की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ उपकरण (संशोधन) अधिनियम, 2004 उपबंधित करता है कि, विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक उत्पादक, उसके द्वारा विक्रित विद्युत ऊर्जा अथवा उपभोक्ताओं को प्रदायित, अथवा स्वयम् के द्वारा अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा उपयोगित, उसके केप्टीव ऊर्जा संयंत्र से या लीडल अथवा 100 किलोवाट क्षमता से अधिक के जनरेटर सेट से उत्पादित विद्युत ऊर्जा पर 15 फरवरी 2005 से 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से राज्य शासन को विद्युत विकास उपकरण का भुगतान करेगा।

कार्यपालन अभियंता (विद्युत एवं सुरक्षा) के अभिलेखों की नमूना जाँच में नवंबर 2005 में प्रकट हुआ कि, 15 फरवरी 2005 से 31 मई 2005 की अवधि के लिए दो विद्युत ऊर्जा निर्माताओं¹⁹ द्वारा 100 किलोवाट से अधिक के डी.जी.सेट/ऊर्जा क्षमता से विद्युत ऊर्जा निर्मित कर 4.65 करोड़ युनिट का उपभोग किया परन्तु ऊर्जा विकास उपकरण जमा नहीं किया। इसके फलस्वरूप 46.56 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

मई 2006 में इसे इंगित किये जाने पर मुख्य विद्युत निरीक्षक ने जून 2006 में बताया कि, उपकरण की वसूली हेतु एक प्रकरण में उत्पादक के साथ मामले को उठाया गया है। दूसरे प्रकरण में बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के माध्यम से 35.87 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। शासन के खाते में जमा विकास उपकरण के भुगतान का विवरण प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण जनवरी 2006 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर अपेक्षित है (अक्टूबर 2006)।

7.3 विद्युत प्रतिष्ठापनों का निरीक्षण न किये जाने के कारण हानि

भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 सहपठित उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के विद्युत प्रतिष्ठापनों के निरीक्षण के लिए निर्धारित किये गये दर से शुल्क आरोपणीय है। शासकीय अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 1987 उपबंधित करती है कि, मध्यम दाब वाले प्रतिष्ठापनों का निरीक्षण तीन वर्ष में एक बार तथा अन्य सभी का निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाना था तथा विभिन्न प्रकार की इकाईयों के निरीक्षण के लिए शुल्क भी निर्धारित था।

कार्यपालन अभियंता विद्युत एवं सुरक्षा, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में नवम्बर 2005 में प्रकट हुआ कि, वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान 79197 मध्यम दाब के विद्युत प्रतिष्ठापन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के 50443 प्रतिष्ठापन, उच्च दाब के 1690 प्रतिष्ठापन, 141 जनरेटर्स एवं 27 एक्स-रे प्रतिष्ठापनों का निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप निरीक्षण फीस के रूप में 82.96 लाख रुपये की हानि हुई।

¹⁹

(i) मै. ए. सी. सी. सीमेन्ट फ़ैक्ट्री

(ii) मै. हिन्दुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट प्रा. लि. बोराई, दुर्ग।

इसे नवम्बर 2005 में इंगित किये जाने पर कार्यपालन अभियंता विद्युत एवं सुरक्षा, रायपुर ने बताया कि, प्रत्येक निरीक्षक द्वारा निरीक्षणों का कार्य विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि निरीक्षण कार्य अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 1987 में निर्धारित समयावधि के अनुसार किया जाना था।

प्रकरण मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत एवं सुरक्षा तथा शासन को जनवरी 2006 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2006)।

8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान खनिज राजस्व के निर्धारण एवं वसूली के अभिलेखों की नमूना जांच में रायल्टी, अनिवार्य किराया का अनिर्धारण/कम निर्धारण, संविदा राशि, रायल्टी खनिज क्षेत्र विकास उपकर की वसूली न होने, रायल्टी आदि के अत्यधिक विलंब से भुगतान पर ब्याज का कम आरोपण के राशि 261.80 करोड़ रुपये के 484 प्रकरण प्रकट हुए, जिनको मौटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनिवार्य किराया एवं ब्याज का अनारोपण	54	0.17
2.	रायल्टी और ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण	47	20.80
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	18	0.16
4.	मुख्य खनिजों पर खनन देयों का निर्धारण एवं संग्रहण पर समीक्षा	1	228.61
5.	अन्य	364	12.06
	योग	484	261.80

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 349 प्रकरणों में 59.27 करोड़ रुपये के रायल्टी के कम निर्धारण को स्वीकार किया। कुछ विस्तृत प्रकरणों तथा 228.61 करोड़ रुपये को सम्मिलित कर मुख्य खनिजों पर खनन देयों का निर्धारण एवं संग्रहण की एक समीक्षा के महत्वपूर्ण प्रकरण निम्न कंडिकाओं में उल्लेखित हैं:

भूमिकी एवं खनिज विभाग

8.2 मुख्य खनिजों पर खनन दायों का निर्धारण एवं संग्रहण पर समीक्षा

मुख्यांश:

रॉयल्टी 15.12 करोड़ रुपये की कम वसूली

(कंडिका 8.2.7)

कोयले के गलत वर्गीकरण के परिणामतः 209.93 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि

(कंडिका 8.2.9)

अप्राधिकृत उत्खनन के खनिज मूल्य 23.11 लाख रुपये की वसूली न होना

(कंडिका 8.2.11)

औसत रॉयल्टी की गलत गणना के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के 1.49 करोड़ रुपये की कम वसूली

(कंडिका 8.2.15)

अनुशंसाएं:-

कर निर्धारण एवं संग्रहण तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित अनुशंसाओं को लागू करने का विचार किया जा सकता है:-

- आंतरिक नियंत्रण को मजबूत बनाया जाए;
- खनिजों का उत्खनन खनिज योजना के अनुसार होना चाहिए; आक
- पट्टों की भूमि से हटाए गए खनिज पर रॉयल्टी वसूल की जानी चाहिए।

8.2.1. प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ बहुमूल्य मुख्य खनिजों जैसे- लौह अयस्क, कोयला, हीरा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन अयस्क, फॉयर क्ले, कॉर्रण्डम आदि से संपन्न हैं।

खनिज संपदा का विद्वेहन, रॉयल्टी का निर्धारण एवं उसका संग्रहण, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957, खनिज रियायत नियम 1960, खनिज संरक्षण एवं विकास नियम 1988 एवं मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं।

8.2.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग, भौमिकी एवं खनिज विभाग के प्रभारी हैं। निदेशक, भौमिकी एवं खनिज (निदेशक), जिनके क्षेत्रीय स्तर पर तीन उप निदेशक यथा-बिलासपुर, जगदलपुर एवं रायपुर सहायक हैं, जिला स्तर पर खनिज कार्यकलाप से संबंधित पट्टों के आवेदनों की प्रक्रिया, राजस्व का निर्धारण, प्राप्ति, अवैधानिक खनन तथा राजस्व के रिसाव की अन्य गतिविधियों से बचाव जैसे कार्यों को खनिज अधिकारी, सहायक खनिज अधिकारी तथा खनिज निरीक्षक प्रशासित करते हैं। एक उड़नदस्ता है जो निदेशक के नियंत्रण में कार्य करता है।

8.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

अभिलेखों का विस्तृत विश्लेषण निम्न दृष्टि से किया गया:

- क्या खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, खनिज रियायत नियम, और खनिज संरक्षण एवं विकास नियम में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया गया और
- देयों की वसूली के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का पालन किया गया।

8.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

खनिज देयों का निर्धारण संग्रहण एवं वसूली की शुद्धता का परीक्षण करने हेतु मार्च 2006 से मई 2006 के मध्य राज्य के 16 में से 6 जिलों²⁰ के अवधि 2001-02 से 2005-06 के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी। इकाइयों का चयन, राजस्व संग्रहण एवं क्षेत्र में मुख्य खनिजों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया गया। नमूना जांच के परिणामों का नीचे दिए गए कंडिकाओं में वर्णन किया गया है:-

8.2.5 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2001-02 से 2005-06 के लिए बजट अनुमानों, एवं वास्तविक प्राप्तियां निम्नानुसार थे:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
2001-02	455.00	454.04	(-)0.96	(-)0.21
2002-03	539.41	538.14	(-)1.27	(-)0.24
2003-04	709.00	629.68	(-)79.32	(-)11.19
2004-05	700.00	679.83	(-)20.17	(-)2.88
2005-06	700.00	721.12	(+)21.12	(+)3.02

²⁰ दंतेवाड़ा, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, कोरिया एवं रायपुर

8.2.5.1 बकाया

प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को मुख्य तथा गौण खनिजों के राजस्व का बकाया निम्नानुसार था:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बकाया
2001-02	8.39
2002-03	8.79
2003-04	1.97
2004-05	2.12
2005-06	1.91

दिनांक 31 मार्च 2006 को विभिन्न चरणों में संग्रहण के लिए लंबित राजस्व निम्नानुसार बताया गया:-

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	कारण	राशि
1.	स्थगन के अन्तर्गत वसूली : न्यायालय या शासन में लंबित	0.29
2.	अस्तित्व में न रही कंपनियों से लंबित वसूली	0.17
3.	दोषियों के संबंध में जानकारी न होने से	0.05
4.	अन्य राज्यों के जिलाध्यक्षों को भेजे गए राजस्व बकाया प्रमाण पत्र	0.01
5.	राज्य के अंदर के जिलाध्यक्षों को भेजे गए राजस्व बकाया प्रमाण पत्र	0.72
6.	वसूली प्रगति पर	0.67
योग		1.91

8.2.6 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

8.2.6.1 राजस्व के सावधिक निर्धारण पूर्ण न करना

निदेशक मध्य प्रदेश द्वारा अगस्त 1966 में जारी निर्देशों के अनुसार खनिज-पट्टों के संबंध में रॉयल्टी का निर्धारण प्रत्येक छःमाही पर जून एवं दिसम्बर में प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। निदेशक खनिज, छत्तीसगढ़ ने भी जून 2001 में इसे दोहराया तथा निर्देशित किया कि खनिज निरीक्षकों को निर्धारण पूर्णता का प्रतिवेदन देय दिनांक से पूर्व खनिज अधिकारी को उनके अनुमोदन हेतु भेजा जाना है।

6²¹ जिला खनिज अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि, जून 1994 से जून 2005 की अवधि के लिए 60 खदानों के प्रकरण में रॉयल्टी का निर्धारण पूर्ण नहीं किया गया। यह इंगित करता है कि निदेशक द्वारा संस्थापित आंतरिक नियंत्रण का पालन नहीं किया गया।

आगे, जिला खनिज अधिकारी, दुर्ग के चूना पत्थर के 26 में से पांच पट्टाधारियों के अभिलेखों के नमूना जांच से प्रकट हुआ कि अवधि 2001-05 के लिए 1.17 करोड़

²¹ दंतेवाड़ा, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, कोरिया एवं रायपुर

रूपये के छःमाही निर्धारण को खनिज अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। यद्यपि, खनिज निरीक्षक ने उनका निर्धारण प्रस्तुत कर दिया था। यह स्पष्ट है कि खनिज अधिकारी द्वारा छःमाही निर्धारण की ओर कम ध्यान दिया गया।

8.2.6.2 मांग एवं वसूली पंजी संधारित न करना

खनिज विभाग द्वारा संधारित मांग एवं वसूली पंजी, जिसमें पट्टाधारी का नाम एवं पता क्षेत्र एवं पट्टे की अवधि आदि, उत्खनित एवं ले जाई गई खनिज की मात्रा, देय एवं चुकाई गई रॉयल्टी, देय एवं चुकाया गया अनिवार्य किराया, निर्धारण पश्चात मांग की राशि तथा राजस्व के बकाया का विवरण आदि पर नजर रखी जाती है, समाहित होता है।

जिला खनिज अधिकारी दुर्ग, कोरबा, एवं कोरिया के अभिलेखों के नमूना जांच से प्रकट हुआ कि मांग एवं वसूली पंजियों का संधारण नहीं किया गया। इसकी अनुपस्थिति में निर्धारित रॉयल्टी एवं अनिवार्य किराया के प्रमाणिकता की जांच नहीं की जा सकती। यह इंगित करता है कि जिला खनिज अधिकारी पट्टाधारियों के विरुद्ध लंबित देयों को निधारित करने की स्थिति में नहीं थे।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि मांग एवं वसूली पंजी संधारित की जावेंगी तथा लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा। मांग एवं वसूली पंजी के संधारण न करने के परिणामतः अनिवार्य किराया एवं ब्याज का अनारोपण एवं निष्क्रिय खनिज पट्टों आदि के निरस्त न किए जाने के प्रकरणों का पता नहीं लगाया जा सकता।

8.2.6.3 अपर्याप्त निरीक्षण

निदेशक, मध्यप्रदेश के मार्च 1978 में जारी निर्देशों के अनुसार (छत्तीसगढ़ द्वारा यथा अंगीकृत) खनिज निरीक्षक को उसके क्षेत्र के खदानों की जांच, छःमाह में एक बार अप्रैल से सितम्बर और अक्टूबर से मार्च के मध्य प्रत्येक वर्ष यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि पट्टाविलेख में निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन पट्टाधारी द्वारा किया गया है, पट्टे के क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया गया तथा पट्टा क्षेत्र का युक्तियुक्त सीमांकन किया गया है।

पांच²² जिला खनिज कार्यालयों में यह पाया गया कि अवधि 2001-02 से 2005-06 की अवधि में खनिज निरीक्षकों द्वारा निर्धारित 795 खदानों में से केवल 329 खदानों का निरीक्षण किया गया जैसा नीचे दशाया गया है:

²² दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, कोरिया एवं रायपुर

वर्ष	खदानों की संख्या	निरीक्षण किए गए खदानों की संख्या	कमी	निरीक्षण न किए जाने का प्रतिशत
2001-02	150	51	99	66
2002-03	152	64	88	58
2003-04	166	70	96	58
2004-05	167	69	98	59
2005-06	160	75	85	53
	795	329	466	

खदानों के निरीक्षण न किए जाने की कमी का प्रतिशत 53 से 66 प्रतिशत के बीच था। खनिज निरीक्षकों द्वारा खदानों के किए गए निरीक्षण के प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। इन प्रतिवेदनों की अनुपस्थिति में निरीक्षणों की आवधिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

8.2.6.4 दैनिक वर्गीकरण पंजी का त्रुटिपूर्ण संधारण

पट्टाधारी द्वारा रॉयल्टी का भुगतान कर दिए जाने के दावे या विभाग द्वारा खजाने में प्रेषणों का वास्तव में कोषालय में जमा हो जाना सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा एक दैनिक वर्गीकरण पंजी का संधारित किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक माह के अंत में दैनिक वर्गीकरण पंजी के इन्द्राजों का कोषालय अधिकारी से प्राप्त प्रेषण सूची से पुनर्मिलान किया जाना चाहिए।

जिला खनिज कार्यालय, दुर्ग, कोरबा, कोरिया और रायपुर के वर्गीकरण पंजी के नमूना जांच से प्रकट हुआ कि दैनिक वर्गीकरण पंजी में इन्द्राज पट्टेधारी से प्राप्त चालानों से करने के स्थान पर कोषालय अधिकारियों से प्राप्त प्रेषण सूची से किया गया था। इन पंजियों में चालान क्रमांक एवं दिनांक का भी उल्लेख नहीं किया गया था। जिला खनिज अधिकारी कार्यालय, रायपुर में पंजी का जनवरी 2005 से आगे संधारण नहीं किया गया था।

यइ इंगित किए जाने पर जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि चालान की प्रतियां सभी प्रकरणों में उपलब्ध नहीं थी और इन्द्राज कोषालय से प्राप्त कोषालयीन प्रेषण सूची से किए गए थे तथा पट्टाधारियों से प्राप्त चालानों से पुनर्मिलान किया गया था। चालानों के जिला खनिज कार्यालयों में अनुपलब्धता के प्रकरणों की जाँच किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। इस दृष्टि से पट्टेधारियों द्वारा किए गए कपटपूर्ण भुगतान के दावे तथा विभागीय कर्मचारियों द्वारा गबन की संभावनों से इंकार नहीं किया जा सकता।

8.2.6.5 आंतरिक लेखापरीक्षा

समय से राजस्व का निर्धारण, खदानों के निरीक्षण आदि पर प्रभावी नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी।

यह इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अक्टूबर 2006 में बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन अगस्त 2006 में किया गया।

8.2.7 रायल्टी की कम वसूली

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, खनन पट्टाधारक पट्टाक्षेत्र से निकाले गये/हटाए गये अथवा स्वयं के द्वारा अथवा उनके अभिकर्ता अथवा कर्मचारियों द्वारा उपभोग किए खनिज पर विनिर्दिष्ट दर से रायल्टी का भुगतान आगामी माह की 20वीं तारीख से पहले करेगा।

जिला खनिज कार्यालय कोरबा एवं कोरिया के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि पट्टेधारक ने अवधि अप्रैल 2001 से नवम्बर 2002, जनवरी 2004 से दिसम्बर 2004 और अप्रैल 2005 से मार्च 2006 के मध्य दो कोयले की खदानों से 128.61 लाख मीट्रिक टन कोयला उत्खनित किया और हटाया परन्तु 116.39 लाख मीट्रिक टन कोयले पर राँयल्टी का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप 12.22 लाख मीट्रिक टन कोयले पर 15.12 करोड़ रुपये की राँयल्टी की कम प्राप्ति हुई। जिला खनिज कार्यालयों द्वारा छःमाही निर्धारण नहीं किए जाने के कारण कम भुगतान का पता नहीं लगाया जा सका।

8.2.8 राँयल्टी, अनिवार्य किराया और ब्याज की वसूली न होना

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के अनुसार खनि पट्टों का धारक, प्रत्येक वर्ष कुल पट्टा क्षेत्र पर अनिवार्य किराया या उत्खनित खनिज पर राँयल्टी, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा। पट्टाधारक आगामी वर्ष के पहले माह की 20 तारीख को या पहले सम्पूर्ण वर्ष के लिए पेशगी अनिवार्य किराए के भुगतान का दायी है। विलम्ब से अनिवार्य किराए के भुगतान के लिए देय दिनांक की समाप्ति के 60वें दिवस से दोष के निरंतर रहने के दिनांक तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज आरोपणीय है।

8.2.8.1 जिला खनिज कार्यालयों, कोरबा एवं कोरिया के अभिलेखों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि पट्टाधारक²³, जिसे 1995 और 2002 के मध्य कोयले के उत्खनन हेतु तीन पट्टे प्रदान किए गए थे, ने खदान क्षेत्रों से कोयले का उत्खनन नहीं किया। पट्टाधारक, अवधि 2001-02 से 2005-06 के लिए 82.04 लाख रुपये अनिवार्य किराया के भुगतान का दायी था परन्तु इसका भुगतान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 44.42 लाख रुपये का ब्याज भी आरोपणीय था।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि दो प्रकरणों में सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी और एक प्रकरण में बताया गया कि खदान के समर्पण/व्यपगत करने की कार्यवाही शासन से प्रारंभ की गई।

8.2.8.2 जिला खनिज कार्यालय, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि, एक पट्टाधारक (चूना पत्थर का पट्टे का धारक) ने अवधि 2001 से 2005 के दौरान 2.30 लाख रुपये की राँयल्टी का कम भुगतान किया और निर्धारण पूर्ण कर लेने के

²³ मैसर्स साउथ ईस्ट कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर

पश्चात् भी विभाग ने माँग जारी नहीं की तथा फरवरी 2006 तक के लिए 1.30 लाख रुपये का ब्याज भी आरोपित नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप 3.60 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

8.2.9 राजस्व की हानि

जिला खनिज कार्यालय, कोरबा के अभिलेखों के अनुसार रन ऑफ माइन्स पर गोवरा क्षेत्र का कोयला का वर्ग, एफ-वर्ग है। जिला खनिज अधिकारी, कोरबा ने पत्र दिनांक 15 जुलाई 2004 से महाप्रबंधक, साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, गोवरा क्षेत्र को सूचित किया की स्टीम कोयला (इ-वर्ग) और स्लैक कोयला (एफ-वर्ग) के औसत उत्पादन का अनुपात 60 और 40 प्रतिशत था। इ-वर्ग कोयला का रॉयल्टी दर 85 रुपये प्रति मीट्रिक टन हैं, जबकि एफ-वर्ग कोयले के प्रकरण में यह 65 रुपये प्रति मीट्रिक टन है।

जिला खनिज कार्यालय, कोरबा के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि गोवरा कोयला खदान क्षेत्र में एक पट्टाधारक ने 2001-02 से 2005-06 की अवधि में 17,64,63,988.86 मीट्रिक टन कोयला हटाया जिसमें 9,12,100.44 मीट्रिक टन इ-वर्ग कोयला (0.52 प्रतिशत) और 17,55,51,888.42 मीट्रिक टन एफ-वर्ग कोयला शामिल था, जिस पर 1083.20 करोड़ रुपये रॉयल्टी का भुगतान किया गया। स्टीम कोयला (इ-वर्ग) एवं स्लैक कोयला (एफ-वर्ग) के अनुपात की दृष्टि से इ-वर्ग और एफ-वर्ग का उत्पादन/हटाना क्रमशः 10,58,78,293.32 मीट्रिक टन एवं 7,05,85,595.54 मीट्रिक टन होना चाहिए था। जबकि आंशिक छनाई के पश्चात् केवल 9,12,100.44 मीट्रिक टन इ-वर्ग कोयला हटाया गया। इस प्रकार 10,49,66,292.88 मीट्रिक टन इ-वर्ग कोयले की कम छनाई हुई थी। परिणामतः 209.93 करोड़ रुपये की रॉयल्टी की हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि शासन/संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

8.2.10 निष्क्रिय खनि-पट्टों को निरस्त न करना

खनिज रियायत नियम के अनुसार, यदि कोई पट्टाधारी, पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से एक वर्ष के अन्दर खनन कार्य प्रारंभ नहीं करता है अथवा ऐसे कार्य के आरम्भ हो जाने के पश्चात् खनन कार्य निरन्तर एक वर्ष के लिए बंद रहता है, राज्य शासन, खनि पट्टे को आदेश द्वारा व्यपगत घोषित करेगा।

जिला खनिज कार्यालय, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि अप्रैल 1987 और अक्टूबर 2002 के मध्य प्रदत्त पट्टों के, 12 पट्टा धारकों ने जनवरी 1996 से जुलाई 2003 के मध्य खनन कार्य बंद रखा परन्तु विभाग द्वारा पट्टों को समाप्त करने तथा उसे दूसरे पट्टा धारकों को आवंटित करने की कार्यवाही नहीं की गई। यदि पट्टों को नए सिरे से स्वीकृत किया जाता तो पूर्व वर्ष में पट्टाधारक द्वारा खनिज उत्खनन या अनुमोदित खनिज योजना के अनुसार पूर्वानुमानित उत्खनन के आधार पर 4 करोड़ रुपये तक की रॉयल्टी अर्जित होती।

8.2.11 बिना स्वीकृति के खनन

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के अनुसार जहाँ कोई व्यक्ति बिना किसी वैधानिक प्राधिकार के, किसी भूमि से किसी खनिज का उत्खनन करता है, शासन ऐसे व्यक्ति से उतने उत्खनित खनिज या पहले से निपटान किए गए खनिज, के मूल्य की वसूली कर सकता है। उस अवधि के लिए जिसमें संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैधानिक प्राधिकार के भूमि पर कब्जा किया गया, वह व्यक्ति किराया, रायल्टी अथवा कर, जैसी स्थिति हो, भुगतान करने हेतु दायी है।

जिला खनिज कार्यालय, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि, खनिज के एक पट्टे को एक जुलाई 2003 से 14 नवम्बर 2020 की अवधि के लिए एक पट्टा धारक को हस्तांतरित किया गया था। तथापि, यह देखा गया कि पट्टाधारक ने एक जनवरी 2003 से 30 जून 2003 की ऐसी अवधि जिसमें वह पट्टे का धारक नहीं था, के दौरान 8,850.41 मीट्रिक टन चूना पत्थर का बिना प्राधिकार के उत्खनन किया तथा 3.44 लाख रुपये की रायल्टी का भुगतान किया। पट्टाधारक रायल्टी के स्थान पर खनिज के मूल्य 26.55 लाख रुपये के भुगतान का दायी था। इसके फलस्वरूप 23.11 लाख रुपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

8.2.12 खनिज योजना के विरुद्ध अधिक उत्खनन से खनिज संरक्षण एवं विकास नियम का उल्लंघन

खनिज संरक्षण एवं विकास नियम के अनुसार, प्रत्येक खनिज पट्टे का धारक, अनुमोदित खनिज योजना के अनुसार, उन शर्तों के अनुरूप जो निर्धारित हों, खनन कार्य करेगा।

जिला खनिज कार्यालय, दुर्ग के 2001-05 अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि, खनिज योजना के अनुसार एक पट्टाधारी²⁴ को सीमेन्ट निर्माण हेतु जामुल और पथरिया-2 में निजी खदान से 6.50 लाख मीट्रिक टन चूना पत्थर खपत करने की अनुमति थी। तथापि, यह देखा गया कि पट्टाधारक ने 2001-02 से 2004-05 की अवधि के दौरान 28 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 40.55 लाख मीट्रिक टन की खपत की जिसके परिणामस्वरूप 12.55 लाख मीट्रिक टन चूना पत्थर का निम्नानुसार अधिक खपत हुई :-

स. क्र.	खदानों के नाम	अवधि	प्रतिवर्ष वार्षिक खपत (लाख मीट्रिक टन में)	प्रतिवर्ष अनुमत्य खपत (लाख मीट्रिक टन में)	अधिक खपत (लाख मीट्रिक टन में)
1.	जामुल	जनवरी 2001 से दिसम्बर 2001	7.07	5.00	2.07
		जनवरी 2002 से दिसम्बर 2002	7.33	5.00	2.37
		जनवरी 2003 से दिसम्बर 2003	7.07	5.00	2.07
		जनवरी 2004 से दिसम्बर 2004	6.57	5.00	1.57
		जनवरी 2005 से दिसम्बर 2005	6.28	5.00	1.28
2.	पथरिया-2	जनवरी 2003 से दिसम्बर 2003	3.49	1.50	1.99
		जनवरी 2005 से दिसम्बर 2005	2.74	1.50	1.24
		योग	40.55	28.00	12.55

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि पट्टाधारी द्वारा अधिक उत्खनित चूना पत्थर की मात्रा पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था। उत्तर इस तथ्य की स्वीकृति था कि विभाग खनिज संरक्षण एवं विकास नियम के प्रावधानों के प्रतिकूल पट्टाधारक द्वारा खनिज के अधिक उत्खनन से सहमत था जबकि रॉयल्टी अदा की गई थी। तथापि, खनिज संपदा के लम्बी अवधि तक संरक्षण के लिए नियम बनाए गए थे।

8.2.13 रॉयल्टी के गलत दर का प्रयोग

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के अनुसार, खनिज पट्टे का धारक, पट्टा क्षेत्र से हटाए गए खनिज के लिए दूसरे अनुसूची में उस खनिज के लिए उस समय की विनिर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान करेगा। लौह अयस्क लम्प और लौह अयस्क फाइन (12.5 मि.मी. से कम) की दर 13 अक्टूबर 2004 तक क्रमशः 24.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन और 17.00 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा तत्पश्चात क्रमशः 27.00 रुपये प्रति मीट्रिक टन और 19.00 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी।

जिला खनिज कार्यालय, दंतेवाड़ा के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि मासिक विवरण के अनुसार एक पट्टाधारक²⁵ लौह अयस्क लम्प को लौह अयस्क फाइन के साथ मिश्रित कर भेज रहा था। जनवरी 2004 से मार्च 2006 की अवधि में पट्टाधारक ने 72.66 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क लम्प 6.37 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क फाइन के साथ मिश्रित कर भेजा और पृथकतः लौह अयस्क लम्प एवं लौह अयस्क फाइन के उत्खनन (उत्पादन) पर रॉयल्टी का भुगतान किया। जैसाकि पट्टाधारक ने विवरणी के अनुसार वास्तव में लौह अयस्क लम्प भेजा था, 6.37 लाख मीट्रिक टन लौह

²⁵ मैसर्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हैदराबाद

अयस्क पर लम्प के निर्धारित दर से रॉयल्टी वसूली योग्य थी। इसके फलस्वरूप 49.84 लाख रुपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

8.2.14 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, उपबंधित करता है कि शासन के द्वारा या उसकी ओर से प्रदत्त खनि पट्टे के प्रकरण में निष्पादन के दिनांक को रायल्टी की राशि सुनिश्चित न की जा सकी हो तो कलेक्टर द्वारा प्राक्कलित रायल्टी की राशि मुद्रांक शुल्क के लिए पर्याप्त होगी। मार्च 1993 में मध्य प्रदेश शासन जारी दिशा निर्देशों के अनुसार खनि पट्टे के नवीनीकरण के प्रकरण में रायल्टी के प्राक्कलन का आधार, पट्टाधारक द्वारा पूर्व के तीन वर्षों में औसत वार्षिक उत्पादन की मात्रा अथवा उसके द्वारा खनि पट्टे की स्वीकृति हेतु दिए गए आवेदन पत्र में दी गई निकाले जाने वाली अधिकतम खनिज की मात्रा अथवा खनन योजना (माइनिंग प्लान) में दी गई उत्पादन मात्रा जो भी अधिक हो, लिया जाना है।

जिला खनिज कार्यालय, दंतेवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 13 सितम्बर 1995 से 12 सितम्बर 2005 की अवधि के लिए एक पट्टे के नवीनीकरण के लिए पट्टा करार अक्टूबर 2005 में निष्पादित हुआ। 2002-03 से 2004-05 की अवधि में पट्टाधारक द्वारा चुकाए गए रॉयल्टी का आंकलन उसके द्वारा करारनामा में दर्शाए गए 8.86 करोड़ रुपये के स्थान पर शासन के मार्गदर्शिका के अनुसार 12.64 करोड़ रुपये होता है। इसके परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रुपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

8.2.15 निष्कर्ष

यह देखा गया कि विभाग समय से निर्धारण और खनिज राजस्व के संग्रहण को सुनिश्चित करने में असफल रहा था। निर्धारण विचारणीय समय से लंबित थे। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा बनाए गए वर्गीकरण के अनुसार लौह अयस्क का वर्गीकरण संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यद्यपि अस्तित्व में है परंतु विभाग द्वारा उनका पालन नहीं किया गया जैसा कि उनके द्वारा विभिन्न विवरणियों और पंजियों का संधारण नहीं किया गया था।

8.2.16 अभिस्वीकृति

समीक्षा के परिणाम के रूप में लेखापरीक्षा निष्कर्ष विभाग/शासन को एक अगस्त 2006 को प्रतिवेदित किए गए थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, खनिज संसाधन विभाग से दिनांक 27 अक्टूबर 2006 को विषय पर लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था जिससे समीक्षा को अंतिम रूप दिए जाते समय विभाग/शासन का अभिमत को ध्यान में रखा जाए। अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2006)।

8.3 अनिवार्य किराया और उस पर ब्याज की वसूली न होना


मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यथा अंगीकृत) के प्रावधानों और पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार, पट्टाधारी पट्टाक्षेत्र से उत्खनित

खनिज की मात्रा पर इस नियम के अनुसूची II एवं IV में निर्दिष्ट दरों से रॉयल्टी या अनिवार्य किराया, जो भी अधिक हो, के भुगतान करने का दायी होगा। तथापि, अनिवार्य किराया पट्टे के पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी को या उसके पूर्व पेशगी जमा कर दिया जाना आवश्यक है। यदि पट्टाधारक अनिवार्य किराया/देय रॉयल्टी समय से जमा करने में असफल होता है तो वह चूक की अवधि के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भुगतान का दायी होगा।

जिला खनिज अधिकारी दुर्ग, के अभिलेखों की सितम्बर 2005 में की गई नमूना जांच में प्रकट हुआ कि सात प्रकरणों में पट्टाधारियों ने अप्रैल 1997 और मार्च 2006 के मध्य की अवधि के लिए अनिवार्य किराया का भुगतान नहीं किया। विभाग ने भी जनवरी 2001 से मार्च 2006 की अवधि के लिए ब्याज सहित अनिवार्य किराया के 3.91 लाख रुपये की मांग नहीं उठाई।

इसे सितम्बर 2005 में इंगित किए जाने के पश्चात, खनिज अधिकारी, दुर्ग ने बताया कि प्रकरणों के परीक्षण पश्चात लेखापरीक्षा को अवगत कराया जावेगा। विभाग का आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2006)।

प्रकरण निदेशक, भौमिकी और खनिज संसाधन तथा विकास और शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2005); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2006)।




(सुवीर मल्लिक)
महालेखाकार, छत्तीसगढ़

रायपुर
दिनांक

4 FEB 2007

प्रतिहस्ताक्षरित



(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

22 FEB 2007